>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 2010 (Amendment of the Eighth Schedule) moved by Shri Satpal Maharaj on the 19th August, 2011.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up further consideration of the following motion moved by Shri Satpal Maharaj on the 19th August, 2011:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Shri Satpal Maharaj to continue his speech.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आठवीं अनुसूची में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को सम्मिलित करने की मांग है। यह मांग उत्तराखंड से आती है जहां गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। पिछली बार मैं ढोल सागर का जिक्र कर रहा था। ढोल सागर एक ऐसा ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग अपने देवताओं से वार्तालाप करते हैं। ढोल सागर के जरिए नरसिंह, नाग राजा, कोरेल, छेदवा, विदवा, भाषर, पांडव, नरंकार और इसमें बीर भड़ों की गाथाएं जागरों के जरिए गाई जाती हैं। आप अगर किसी शादी को लौटता देखते हैं तो उसमें ढोल बजाने वाले ढोल सागर के माध्यम से ऐसी तरंगे निकालते हैं जो मोरिस कोड की तरह समझी जा सकती हैं। उन तरंगों के जरिए लोगों को पता चल जाता है कि बारात जा रही है या बारात लौट रही है। बारात में दो ध्वज होते हैं - एक सफेद रंग का होता है और एक लाल रंग का होता है। जब लाल रंग का होता है तो यह पता चलता है कि बारात जा रही है, जब सफेद रंग का आगे आ जाता है तो पता चलता है कि बारात लौट रही है। इस प्रकार के ढोल सागर में शब्द बजाए जाते हैं जिससे लोगों को यह ज्ञान हो जाता है कि बारात चढ़ रही है या उतर रही है। इसी ढोल सागर में इस प्रकार का विज्ञान है कि चौरास बजाने वाला जब चौरास बजाता है तो पूरे मकान को ढा देता है, मकान गिर जाता है। गांवों में अगर बाघ आ जाता है तो लोग ढोल बजाकर यह सूचना दे देते हैं कि उनके गांव में बाघ आ गया है और अड़ोस-पड़ोस के गांव से लोग उन्हें बचाने के लिए चलकर आ जाते हैं। गढ़वाली भाषा के अंदर अनेक जागर लगते हैं, कुमाऊनी भाषा में जागर लगते हैं। जिन जागरों के सामने देवी, देवता प्रकट होते हैं, ऐसी यह भाषा है।

सभापति महोदय, आज मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूं, जिसमें उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा को एक समृद्धशाली, विकसित भाषा के रूप में, कुमाऊंनी भाषा को एक विकसित भाषा के रूप में आपको देखने का अनुभव प्राप्त होगा।

सभापति महोदय, मैं पांडवों के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे उत्तराखंड में पांडवों की संस्कृति रही है और पांडवों का विचरण होता रहा है। ये पांडव जब कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि --हे कृष्ण, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, तो कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ, अगर तुम्हे शिव के दर्शन हो जायेंगे, तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जायेगी। शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए पांडव केदार खंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करके शिव की तलाश करने लगे। उस वक्त शिव ने कहा कि मैं इतनी जल्दी इन्हें दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने बड़ी हत्याएं की हैं। जहां-जहां पांडव जाते थे, शिव भगवान अंतर्ध्यान हो जाते थे। शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिये। पांडव चलते-चलते केदार घाटी में आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि great things are achieved by great sacrifices only. महान चीजें महान कुर्बानी के बाद ही प्राप्त होती हैं और शिव चाहते थे कि पांडव कुर्बानी करें, पांडव तपस्या करें, पांडव कर्म करें। जब पांडव तपस्या करते-करते केदार घाटी में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिये। वे अनेक बैल बनकर निकले। भीम ने घाटी में दोनों पैर रख दिये और कहा कि जो शिव रूपी बैल होगा, वह मेरे नीचे से नहीं जायेगा। सारे बैल चले गये, लेकिन एक बैल उलटा दौड़ता है और दौड़ते-दौड़ते जहां पर केदारनाथ जी का मंदिर है, वहां अपना सिर जमीन में धंसा देता है। वह सिर नेपाल में निकलता है, जिसे हम पशुपति नाथ जी के नाम से जानते हैं और बैल का पिछला हिस्सा भारत में है। यह एक कितनी सुंदर कल्पना है कि एक शिव जिनका चेहरा नेपाल में निकलता है और पशुपति नाथ के रूप में पूजित होता है और बैल का पिछला हिस्सा भारत में रहता है। एक अराध्य देव के कारण दोनों देश जुड़े हुए हैं। दोनों अलग-अलग देश हैं, लेकिन उनकी आत्मा, जो शिव है, वह एक है। आपको ऐसा उदाहरण दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। मैं यह निवेदन भी करूंगा कि उसके बाद केदार खंड में जगद् गुरू शंकराचार्य जी आते हैं। आप यह देखें कि जहां पांच केदार माने जाते हैं, उनमें मद-महेश्वर भी आता है। मद-महेश्वर की डोली चलती है और रांसी गांव में आती है। रांसी के लोग रोते हैं। डोली आगे जाती है फिर पीछे जाती है। वह फिर आगे जाती है, पीछे जाती है। माताएं क्रंदन करते हुए, आंसू बहाते हुए रोती हैं और देवता से वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि जा-जा फिर चले आना अगले साल। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संवाद और किसी भाषा में नहीं होता है। यह गढ़वाली भाषा में ही सम्भव है, इसलिए ऐसी भाषा को राजभाषा का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कालिदास ने बड़े काव्य लिखे। उनका पहला काव्य मेघदूत था, जिसमें कालिदास जी लिखते हैं कि वे रामगिरि आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय आसमान से मेघ जा रहे थे और मेघों को जाता हुआ देखकर कालिदास को अपने उत्तराखंड की याद आती है। कालिदास यह सोचते हैं कि ये मेघ अब यहां से जाते-जाते हिमालय की पहाड़ियों से टकरायेंगे और टकरा कर शिव का जो स्थान कैलाश पर्वत है, वहां तक पहुंचेंगे। उन्होंने मेघदूत की रचना की। मेघदूत के अंदर वे सारे स्थान जहां-जहां से कालिदास जी गये होंगे, वहां के सारे स्थानों का वर्णन किया। वे उज्जैन में भी मेघों को लाते हैं और उसके बाद वे केदार खंड में आते हैं और केदार खंड के अंदर वे-वे बातें कालिदास जी लिखते हैं, जो उत्तराखंड का व्यक्ति ही लिख सकता है। कालीमठ से आगे 6 किलोमीटर दूर एक स्थान है, जिसे कबिल्ठा कहा जाता है। कबिल्ठा अपभ्रंश शब्द है, जिसका असली शब्द कबीठा और संस्कृत में इसे कविस्थानम्, यानी कवि का स्थान कहते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि कालीदास वहां पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उनका प्रेम गुप्त काशी के नरेश की पुत्री विद्योत्मा से हो गया और राजा ने कालिदास को निष्कासित कर दिया। वह मेघदूत के अंदर यक्ष के यहां न पहुंचने के कारण यक्ष उसको निष्कासित कर देता है, ऐसा लिखता है। कालिदास

ने उत्तराखण्ड की गोधूलि के बारे में लिखा है। गोधूलि एक ऐसा समय होता है जब गउएं लौटती हैं। गउएं लौटती रहती हैं और सूर्य अस्त होता रहता है, इसको धूलि अर्घ्य कहते हैं। जो उत्तराखण्ड की आत्मा होगी, उत्तराखण्ड में जो व्यक्ति पैदा होगा, वही धूलि अर्घ्य के महत्व को समझता है। इसको बड़ा प्रभावशाली समय माना जाता है। कुमारसम्भव के अंदर कालिदास जी गोधूलि का जिक्र करते हैं कि गोधूलि के समय शंकर जी पार्वती जी का वरण करने के लिए पहुंचते हैं। इस प्रकार की उत्तराखण्ड की जो निटी-ग्रिटी बाते हैं, छोटी-छोटी बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म बाते हैं, वे सब बातें लिखी गयीं और मैं समझता हूं कि ऐसा विरासत में मिला उत्तराखण्ड का इतिहास हमारे सामने है। इसी प्रकार से गुरू गोविन्द सिंह जी अपने पिछले जन्म के अंदर, विचित्र नाटक में लिखते हैं :

अब मैं अपनी कथा बखानूं, तब साधत जिय बिधि मुं आनू।

हेमकुण्ड पर्वत है जहां, सप्तसिंह सोअत है तहां, सप्तसिंह तिहं नाम कहावा।

पाण्डु राज जहां जोग कमावा, तहं हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कालिका अराधी।

एह विधि करत तपस्या भयो देव ते एकरूप हो गयो।

गुरू गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक के अंदर अपने पिछले जन्म के वृतांत को बताया है कि पिछले जन्म में दुष्टों का दमन करने के लिए वह दुष्टदमन सिंह के नाम से प्रख्यात हुए। हम भी, सनातन लोग भी यह मानते हैं कि गुरू गोविंद सिंह जी लक्ष्मण के अवतार थे और लक्ष्मण जी शेषनाग के औतार थे। इस प्रकार से इसके अंदर यह बात आती है कि जहां पर सात मुख वाला पर्वत है, सप्तसिंह पर्वत है तहां, हेमकुण्ड पर्वत है तहां और वहां पाण्डुकेश्वर आपको उत्तराखण्ड में मिलेगा। बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में पाण्डुकेश्वर है जहां पाण्डु राजा ने योग कमाया था। विचित्र नाटक में इन सारी बातों को गुरू गोविंद सिंह जी ने लिखा है। ऐसा उत्तराखण्ड है जहां तमाम तपस्वियों ने साधना की और साधना करने के बाद वह कहते हैं कि उन्होंने महाकाल और कालिका की आराधना की, जिसके प्रताप से वह एकरूप हो गए, यूनिफिकेशन उनका हो गया, तो ऐसे उत्तराखण्ड के अंदर जो भाषा है, वह देवभाषा है और मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके अंदर गागर में सागर उत्तराखण्ड के कवि लोग भर देते हैं। मैं आपके सामने हमारे जनकवि गिरीश चन्द्र तिवाड़ी, जिनको गिरदा के नाम से जाना जाता था, उनकी एक कविता का अंश आपके सामने रखूंगा और बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से कवि गागर में सागर में भर देता है। गिरदा लिखते हैं:

त तुक नी लगा उ देख, घुनन-मुनन नी टेक। जैंता एक दिन तो आलो, उ दिन यो दुनि में।

चाहे हम नी लै सकों, चाहे तुम नी लै सकों, मगर क्वे न क्वे तो लालो, उ दिन यो दुनि में।

ज्या दिन ननु ठुलो नि रौलो, ज्या दिन त्यारा-म्यारा नि होलो, जैंता एक दिन तो आलो,

उ दिन या दुनि में।

गिरदा लिखते हैं कि ऐसा एक न एक दिन आएगा जब छोटे-बड़े, तेरे-मेरे का भेदभाव नहीं रहेगा, वह दिन चाहे हम न ला सकें, वह दिन चाहे तुम न ला सको, पर कोई न कोई तो आएगा, उस दिन को इस दुनिया में लाने वाला। ऐसे गागर में सागर भरने वाले कवि हमारे गिरदा थे। मैं लोककवि नरेन्द्र सिंह नेगी को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने एक बहुत सुन्दर गीत लिखा है:

कमीशन की मीठ भात, रिश्वत को रैलो, बस कर भंडय़ा न सपोड़, अब कदगा खैलो।

नयो-नयो राज उत्तराखण्ड आसमाछन लोभ, ब्याणांछन डाम यख लैंडोको तैरो जोग।

कुंभ नहोयोको भोलू, अब अबदा नहे रो रे, नियुक्तियों की रस मलाई, ट्रंसफरों को हलवा।

मालदार विभाग में, तेरे चेलों को जलवा।

इसी कविता में आगे कहा गया है:

बारमाचाछन, बारवां चुनाव छन्न, खुल्यो कि हंस ल्यो कि रोल्यो रे।

इसमें कवि इतना सशक्त है, इतना प्रभावशाली है कि वह सरकारों को गिरा देता है, सत्ता से लोगों को नीचे गिरा देता है।

15.49 hrs.

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair)*

ऐसा सशक्त कवि है और हमारे लोककवि नरेन्द्र सिंह नेगी लिख रहे हैं कि भाई, कितना खाएगा। गढ़वाली भाषा के शब्दों के बारे में मैं कहना चाहूंगा।

बसकर भंडया न सपोड़, सपोड़ एक ऐसा शब्द है जो बड़ा ही चमत्कारिक शब्द है। कवि ने इसका उपयोग किया है कि यह नया-नया उत्तराखंड राज्य बना है, बहुत लोग इसमें आशान्वित हैं और कुम्भ भी नहा गया, आपदा भी नहा गया है, दीप्नियों की रसमलाई, ट्रंसफर्मर्स का हलवा, इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। वह कहते हैं कि 2012 में चुनाव होंगे, फिर हंसोगे या रोओगे। इस प्रकार की गागर में सागर भरने की जो तरीका हमारे कवियों में यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड मुख्यतः दो मंडलों में विभक्त है, एक कुमाऊँ मंडल और दूसरा गढ़वाल मंडल। इन दोनों मंडलों की दो प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कुमाऊँनी एवम् गढ़वाली। ये भाषाएं शब्द क्रमशः कुमाऊँनी भाषी और गढ़वाली भाषी का भी द्योतक है। बोली विभेद की दृष्टि से कुमाऊँनी को दो उप-वर्गों में बांटा गया है, (क) पूर्वी कुमाऊँनी और (ख) पश्चिमी कुमाऊँनी। पूर्वी कुमाऊँनी को चार बोलियों में विभक्त किया गया है, 1. कुमय्याँ, 2. सोर्याली, 3. अस्कोटी, 4. सिराली पश्चिमी कुमाऊँनी को छः उप बोलियों में बांटा गया है, 1. खसपर्जिया, दो. चौगर्खिया, 3. गंगोली, 4. पछाई, 5. दानपुरिया और 6. रौ चौभैंसी। इस प्रकार कुमाऊँनी की कुल दस उप बोलियां हैं।

इसी प्रकार गढ़वाली भाषा में आठ उप बोलियां हैं। 1. श्रीनगरी, 2. बधाणी, 3. दौसल्या, 4. माझ कुमैया, 5. नागपुरिया, 6. सलाणी, 7. राठी और 8. टिहरियाली। इस क्रम में टिहरी जिले की अनेक उप बोलियां हैं। तकनौरी–बाड़ाहटी, रमोल्या, जौनपुरी, रवाल्टी, बड़ियारगड्डी, टिहरियाली। टिहरियाली के दो भेद माने गए हैं, 1. गंगाड़ी, तथा 2. जौनपुरी रवांल्टी।

कुमाऊँ में चार प्रमुख जनजातियां रहती हैं, 1. राजी, 2. शौका, 3. थारू और 4. बुक्सा। इन जनजातियों की बोलियां भी क्रमशः इन्हीं के नामों से जानी जाती हैं, शौका बोली भी दो तरह की होती है। 1. रड. बोली और 2. जोहारी बोली। पिथौरागढ़ जनपद में दारमा, ब्यांस और चौदाण पट्टी के लोगों की भाषा रड. कहलाती है तो मनुस्यारी के शौकाओं की बोली जोहारी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार गढ़वाल के जौनसार–भाबर की बोली जौंनसारी के नाम से जानी जाती है।

सभापति महोदय, गढ़वाल में अनेक ऐसे शब्द हैं, जो हिन्दी कोष को और बढ़ा सकते हैं। गढ़वाली में जैसे ऊनी, सूती और ऊन-सूती मिश्रित तीन कपड़ों के जलने को हम क्या कहते हैं। अगर ऊनी वस्तू जलता है तो हम कहते हैं कि क्रियान आ गई, अगर सूती वस्तू जलता है तो हम कहते हैं कि क्रित्यान आ गई और अगर ऊनी-सूती मिश्रित वस्तू जलता है तो कहते हैं कि विक्लयान आ गई। इस प्रकार से इसके अंदर बड़े सूक्षम भेद हैं। गढ़वाली में जैसे हम बोलते हैं दादा भोला यानि बड़ा भाई और छोटे भाई को। हिन्दी के अंदर हम बोलते हैं दीदी भुलि। इसी प्रकार अगर हम हिन्दी में बोलें तो बोलेंगे बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन। इसी प्रकार उसमें बड़ा-छोटा लगाने से थोड़ी समस्या पैदा होती है। अगर अग्रज और अनुज कहें तो इसका प्रयोग बोलचाल में बड़ा अटपटा लगता है। ऐसे ही हिन्दी में कल भूत और भविष्य दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि गढ़वाली में हम बोल यानि आगामी दिन और बयाले यानि जो बीत गया। ये अलग-अलग शब्द हैं।

इसी प्रकार से गढ़वाली एवम् कुमाऊँनी भाषाओं का वैदिक संस्कृति प्राकृत एवम पाली भाषाओं से काफी सम्बन्ध है। संस्कृत प्राकृत एवम् पाली में काफी शब्द गढ़वाली एवम् कुमाऊँनी भाषाओं से मिलते हैं। सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी राजदूत और इतिहासकार मैगाथीनीज़ ने 297 बी.सी. में लिखा था कि उस समय उत्तराखंड गढ़वाल के राजा का राज नेपाल से अफगानिस्तान तक था और यहां दरिज जाति के लोग रहा करते थे। हमारे माननीय सदस्य श्री करण चन्द सिंह, जो केसी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, स्वयं उनके पूर्वजों में चन्द राजाओं के रूप में कुमाऊँ पर शासन किया। उस समय में अपने सारे आदेश कुमाऊँनी भाषा में ही दिए। जिनमें राजा सोमचन्द, राजा कीर्ति चन्द, राजा अभय चन्द, राजा दली चन्द, राजा बाज़ बहादुर चन्द, राजा कल्याण चन्द, राजा दीप चन्द, राजा लक्ष्मी चन्द तथा राजा मोहन चन्द आदि सम्मिलित हैं।

सभापति महोदय : महाराज जी, क्या कुमाऊं भाषा की अपनी लिपि है?

श्री सतपाल महाराज : जी हां, इसकी अपनी लिपि और व्याकरण भी पूरी है।

सभापति महोदय, हमारे उत्तराखंड में तिलू-रौतेली हुई, जिसने गढ़वाली भाषा के प्रोत्साहन के लिए बहुत काम किया। यह ऐसी नारी थी जो गुराडा में पैदा हुई और गुराड में पैदा होने के बाद इसने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। नारी होने के बावजूद यह पुरुषों के वेष में रहती थी। हमारे उत्तराखंड के अंदर जब लड़के नाचते हैं तो लकड़ी लेकर सराई खेलते हैं। सराई तलवार चलाने का, सीखने का एक तरीका है। इसने सराई-खेत के अंदर इस तिलू-रौतेली ने अपने दांतों से लगाम को पकड़ा और दोनों हाथों में तलवार लेकर के दुश्मनों को काट डाला। उस स्थान का नाम सराई-खेत है और मैं तिलू-रौतेली को प्रणाम करना चाहूंगा, जिसने गढ़वाल की संस्कृति के लिए, गढ़वाल की भाषा के लिए, गढ़वाल की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये गुराड में पैदा हुई थी। हमारी उत्तराखंड की पहले मंत्री रही हैं, अमृता रावत जी, उन्होंने जणदा-देवी में और भैरो-खाल के अंदर तिलू-रौतेली की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया।

यह ऐसी वीरांगना थी जिसके बारे में लोगों ने कहा कि झांसी की रानी की तो फौज थी, पर जो तिलू-रौतेली हुई है, इसकी कोई फौज नहीं थी। इसने अपनी सहेलियों को लेकर, लुहार को लेकर के, जन-मानस को लेकर के, एक सेना बनाई और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिये। आज उत्तराखंड ऐसी वीरबाला को प्रणाम करता है।

सभापति महोदय : लाल सिंह जी, आपको भी कश्मीर पर ऐसे ही बोलना होगा।

श्री सतपाल महाराज : हां, ये बोलेंगे। मैं तो चाहूंगा कि हमारे सभी सम्मानित सदस्य अपने विचार व्यक्त करें और एक गुलदस्ता पेश करें। हमारी भाषाएं जो लुप्त होने जा रही हैं, इन सब भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, ताकि भारत सुदृढ़ हो सके। मैं तो कहना चाहूंगा कि -

" जब एक कड़ी से बावस्ता एक और कड़ी हो जाती है

तो रस्मे मौहब्बत में फंसकर जंजीर बड़ी हो जाती है

हम तो क्या हैं दोस्त एक इंसां हैं

पत्थर भी अगर मिल जाते हैं

तो दीवार खड़ी हो जाती है" ।

आइये, सब भाषाओं को जोड़ करके एक दीवार बनाएं और अपने देश को और मजबूत करें और सशक्त करें - यह हमारा संकल्प और अभियान होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पांडवों का उत्तराखंड में प्रवेश हुआ। शंकर के दर्शन करके उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया और स्वर्गारोहण के लिए वे बदरीनाथ की तरफ आते हैं। बदरीनाथ की आगे बढ़ने लगे, जो-जो पीछे देखने लगा, डरने लगा। यह कथा हम सभी ने सुनी है। इसके बाद युधिष्ठर महाराज आगे जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग से एक विमान आता है, उनके साथ एक कुत्ता होता है। स्वर्ग के देवताओं ने कहा कि महाराज आईये, विमान में बैठिये। जब वे बैठने लगे तो कुत्ता भी साथ जाने लगा। देवताओं ने कहा कि महाराज, स्वर्ग में कुत्ता साथ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कुत्ते ने मेरा साथ दिया है, मैं यहां तक पहुंचा हूँ, कुत्ता मुझे यहां तक लाया है, अगर यह नहीं जाएगा, तो मैं स्वर्ग नहीं जाता हूं। सारे देवताओं ने उनका अभिनंदन किया और कहा कि ये कुत्ते नहीं हैं, ये धर्म हैं। इसी प्रकार से जो धर्म है, जो हमारी दूध-बोली भाषा है उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, त्याग नहीं सकते हैं।

सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि इसे सम्मान मिले, इसे गौरव प्राप्त हो। इसके अंदर ऐसे-ऐसे गाने हैं जिनसे देश को बड़ा प्रेम और प्रसन्नता प्राप्त होगी। एक गाना है - " पेडू पाको बारा मासा" । जिसके अंदर काफल जो बड़ा विचित्र फल है, जो हमारे पहाड़ों में लगता है, बेरी की तरह है। काफल जब पकता है तो लोग बोलते हैं कि "पेडू पाको बारा मासा, नरणा काफल पाम्यो चैता" । इस प्रकार के अनेक गानों से हमारे उत्तराखंड की धरती को बड़ा ही मंगलमय बनाया गया है और इसका बड़ा ही रिच-कल्चर है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस भाषा की अपनी लिपि और शैली है। देव-प्रयाग के 80 लाख से अधिक लोग गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा बोलते हैं। देव-प्रयाग मंदिर में महाराज जगतपाल के समय के सन् 1335 के दान-पात्र पर उत्कीर्ण लेख देखने को मिलते हैं।

16.00 hrs.

देवलगढ़ में अजयपाल का 15वीं शताब्दी का शिलालेख देखने को मिलता है। देवभूमि के उसी मंदिर में महाराज पृथ्वीशाह के सन् 1664 के ताम्रपत्र का लेख देखने को मिलता है। इसी प्रकार यह देवताओं की राजभाषा रही है और गढ़वाल के राजा अपने जितने भी जजमेंट देते थे, वे गढ़वाली भाषा में दिया करते थे।

मैं कहना चाहूंगा कि कुमाऊंनी भाषा की लिपि देवनागरी है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि एक समय आया कि मलेशिया की राजभाषा क्या बने। उन्होंने बहुत गहरा मंथन और चिंतन किया और एक टापू पर बोली जाने वाली बहुत अल्पसंख्यकों की भाषा को लिया और रोमन एल्फाबेट्स को चुना तथा कहा कि यह हमारी राजभाषा बनेगी। वहां की लैंग्वेज को भाषा कहा जाता है। उन्होंने यह काम इसलिए किया कि एक छोटी सी अल्पसंख्यक भाषा अगर देश की भाषा बनती है, तो कोई यह नहीं कह सकेगा कि एक बहुसंख्यक भाषा को देश पर लाद दिया गया है। इसी प्रकार से छोटी-छोटी भाषाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। कुमाऊंनी भाषा की लिपि देवनागरी है और इसके बड़े प्राचीनतम नमूने देखने को मिलते हैं। कुमाऊंनी भाषा चन्द् शासनकाल में कुमाऊं की राजभाषा रही है। उस काल में सभी शासकीय कार्य कुमाऊंनी भाषा में ही होते थे, जिसकी पुष्टि तत्कालीन ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सरकारी दस्तावेजों एवं संदनों में होती है, जिनमें महाराजाधिराज अभयचन्द् का शक 1296 का अल्मोड़ा में मिला ताम्रपत्, महाराजधिराज कीर्तिचन्द् का शक 1427 में मिला ताम्रपत्, महाराजधिराज धुवचन्द् का शक 1590 में मिला ताम्रपत्, महाराजधिराज बाज बहादुर चन्द् के चम्पावत में मिले ताम्रपत्र इसके प्रमाण हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये भाषाएं अपने आप में बहुत ही समृद्ध और सशक्त हैं।

आपसे मेरा निवेदन है कि इन भाषाओं को सम्मान मिले। आज जब हम अपने पुरातत्व की दृष्टि से अपने पुराने मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, बाघों की रक्षा कर रहे हैं, टाइगर्स की रक्षा कर रहे हैं, शेरों की रक्षा कर रहे हैं, तो यह भाषा जो 80 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है, ऐसी भाषा की निश्चित रूप से रक्षा होनी चाहिए। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो हमारी छोटी भाषाएं हैं, जो लुप्त होने जा रही हैं, यूनेस्को ने जिन्हें अपनी सूची में रखा हुआ है कि ये लुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसी भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए, उनको राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए।

मुझे आशा है कि सभी सम्मानित सदस्यगण इसमें मेरा समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले
विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री हुक्मदेव नारायण यादव। आपको उत्तराखंड पर ही बोलना है, बिहार पर नहीं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, आपने मुझे खड़ा होते ही निर्देश दिया कि उत्तराखंड पर ही बोलना है। सवाल केवल गढ़वाली और कुमाऊं भाषा का ही नहीं है, सवाल लोक भाषा का है। मैं जिस आंदोलन और कृति से निकल कर आया हूं, उसमें मेरा नारा ही था- गांधी / लोहिया की अभिलाषा,

चले देश में देसी भाषा। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है। हम उसी आंदोलन को लड़ते आ रहे हैं कि चले देश में देसी भाषा। देसी भाषा का मतलब है - लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक संस्कृति, लोक आचार, लोक व्यवहार, लोक-लाज और तब आएगा राम राज। सतपाल महाराज जी कथा वाचक हैं, उन्होंने पशुपति नाथ की कथा कही। दशरथ नंदन श्री राम राजमहल को छोड़ते हैं, वनवासी का वेश बनाते हैं और देश की जो लोक भाषा है, लोक संस्कृति है, लोक भूषा है, लोक भोजन है, लोक व्यवहार है, लोक आचार है और उसमें जब अपने को रमाते हैं तो विशाल शक्ति पाकर रावण के साम्राज्यवाद का नाश करने में सफल हो जाते हैं। न उनका कोई कुटुम्ब था, न दयाद था, न जाति थी, न बंधु था, न समाज था और न ही उनके कोई रिश्तेदार थे, किसी ने साथ नहीं दिया था। यदि दिया था तो लोक जन ने साथ दिया था, इसलिए जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। वह भी केवल इसलिए नहीं कि गढ़वाली और कुमाऊं ही नहीं, आप जिस प्रदेश से आते हैं, वहां जो झारखण्ड के जंगल में हमारे वनवासी भाई हैं और आपस में जब मिलते हैं और एक-दूसरे से बातें करते हैं तो उनको वहां की भाषा में ही रस आता है। यदि उनके बीच में कोई जाकर अंग्रेजी, फारसी, विलायती भाषा बोलने लगे तो कहेंगे कि देसी मुर्गी विलायती बोली। हम तो तुम्हारी बात समझते नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर देशी भाषा, लोक भाषा को सम्मानित नहीं किया गया है। हम अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिथिलांचल के कोटि कोटि लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हुए सदन में अभिनंदन करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान देकर मिथिलांचल की मैथिली भाषा को सम्मानित किया था। हमारी मैथिली भाषा की लिपि अलग है लेकिन देवनागरी में ही ज्यादातर मैथिली भाषा लिखी जाती है। देवनागरी एक लिपि है जिसमें मिलती जुलती जितनी भाषाएं हैं, वे देवनागरी भाषा के द्वारा हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं।

यह जो हमारी भाषा है, उसमें जितने संत हुए, चाहे गुरुनानक जी हुए, कबीर हुए, रहीम हुए और तुलसीदास जी हुए। तुलसीदास जी की भाषा क्या है? लोकभाषा है जिसमें सभी लोक भाषा जो अवधी है, भोजपुरी है, मगधी है तथा जितनी देश की लोकभाषा है, उन सबको मिला दिया। सतपाल महाराज जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब केवट के संवाद आते हैं तो उसका व्याकरण में अर्थ निकालने वाले को अर्थ ही नहीं मिलेगा। "सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा नैन" लोग सोचेंगे कि यह अटपटा क्या है, लटपटा क्या है? लेकिन वह लोक भाषा है और लोक भाषा का अपना ही आनन्द है। जब भोजपुरी में लोग अपनी भाषा में गीत गाते हैं, तो उनको अपना ही आनन्द आता है और जब मैथिली भाषा में कोई गाने लगे तो लाख कोई डमडमा बजाइए, डिस्को डांस करिए, चाहे सिनेमा के बड़े बड़े हीरो-हीरोइन से गाना गवा दीजिए, मेरे कान में अगर कहीं मैथिली भाषा का स्वर आ जाए तो मैं सब काम छोड़कर मैथिली के गीत की तरफ दौड़ पड़ूंगा क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा रस मिलता है और उसमें ज्यादा आत्मा में आनन्द आता है। लोक भाषा की वह कीमत है।

मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। अंग्रेजी में किसी चीज के एक ही शब्द होते हैं लेकिन मैथिली के हम उस इलाके से आए हैं जहां हम बांस का अनेक प्रकार का सामान बनाते हैं और हमारे बिहार और झारखंड में बांस से बनने वाली जो टोकरी है, उसके कितने शब्द हैं, वह मैं आपको बताता हूं। सबसे छोटा मौनी, उससे बड़ा पौती, उससे बड़ा डलिया, उससे बड़ी चंगेड़ी, उससे बड़ा चंगेड़ा, उससे बड़ा पथिया, उससे बड़ा छिक्का, उससे बड़ा ढ़किया, उससे बड़ा ढ़ाक। अब अंग्रेजी में इसके लिए केवल एक या दो शब्द होंगे लेकिन ये हमारी मैथिली की लोकभाषा के शब्द हैं। जब आम फलते हैं तो आम को कहते हैं, पका या कच्चा केवल इतना ही है। लेकिन मैथिली भाषा में और झारखंड में लोग इसे बोलते हैं तो जब आम शुरु होता है, मंजर देने के समय में तो उससे पहले गुज्जर, उसके बाद मंजर, उसके बाद किरैया, फिर टिकौला, फिर कोसाइल और तब कहते हैं ज्वाइल और उसके बाद डम्हक तथा उसके बाद पाकल और उसके बाद मधुआई कहते हैं।...(व्यवधान) एक ही आम के लिए हमारी लोक भाषा में इतने शब्द हैं।

सभापति महोदय : हुक्मदेव जी, मिथिला के लोग आम के ज्यादा शौकीन होते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : जी, आम और मखान हमारे हैं लेकिन हम कहते हैं कि पांच म से मिथिला बना है- मांछ, मखान, मधु,और महा महोपाध्याय। इसी से तो हमारे यहां विद्वानों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैंने इस बात को आपके सामने रखा कि जितनी देश की भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं को संगृहित किया जाए। उन सभी को सम्मानजनक स्थान दिया जाए। उन सभी भाषाओं में पढ़ाई की जाए और उन सभी भाषाओं को सरकारी विद्यालयों में तथा सरकारी नौकरियों में सम्मान दिया जाए जिससे कि वे अपनी भावना की अभिव्यक्ति कर सके। मोरारजी देसाई जी की सरकार में चौधरी चरण सिंह 1977 में गृह मंत्री बने थे, उस समय 14 भाषाएं थीं और कहा गया था कि 14 भाषाएं संविधान की अष्टम अनुसूची में हैं इसलिए संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षार्थी चाहे तो किसी भाषा में उत्तर दे सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लोगों ने लोकभाषा में उत्तर देना शुरु किया है और आज इसका परिणाम है कि मधुबनी जिले से पांच-छः बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, आईएएस कम्पीट करते हैं। ये कोई बड़े घर के बच्चे नहीं हैं, साधारण स्कूल से पढ़कर निकले हैं। उन्हें अपनी भाषा के मार्ग पर अपनी भावना की अभिव्यक्ति करने का अवसर मिला जिसके कारण वे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ज्ञान के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है। कबीर जी कहां पढ़े थे, उन्होंने कहा - कबीरा बाचे आंखन देखा, पंडित बाचे पोथिन लेखा। कबीर दास जी ने कहा - हम जो कहते हैं सो आंख से देखा कहते हैं और पंडित जो बात कहता है वह पोथी लेखा पढ़कर कहता है।

मेरी विनम्र विनती है कि भारत सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर देशी भाषा के लिए आयोग का गठन करे। संपूर्ण देश में चाहे बाहर के लोग हों, चाहे जंगल में बसने वाले लोग हों, चाहे थोड़े बोलने वाले हों या ज्यादा बोलने वाले हों, उन भाषाओं, लिपिओं और शब्दों को संगृहित करें और उसके आधार पर व्यापक भारतीय लोक भाषाओं का कोश बनाया जाए। आज के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों में इनकी पढ़ाई होनी चाहिए जिससे भारतवर्ष के लोग जान सकें कि लोकभाषा में कितनी ताकत थी, हम कितने संपन्न थे।

मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सतपाल महाराज कुमाऊंनी और गढ़वाली भाषा में बारहमासा की बात कह रहे थे। मिथलांचल में बारहमासा गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में भादों और सावन के वर्णन में एक गरीब लड़की अपने बिरहा की कहानी गाती है। इस गीत में बताया गया है कि उसका पति परदेस में कमा रहा है, भादों का महीना है, घुप अंधेरी रात है, कीचड़ है, बिजली चमक रही है, मेंढक बोल रहे हैं, उस समय वह अकेली सोई है, उसे जब अपने पति की याद आती है तो वह कैसे अनुराग और हृदय से गाती है। इस तरह की बिरहा का वर्णन किसी और साहित्य में नहीं मिल सकेगा।

सभापति महोदय : हुक्मेदव जी, जैसे महाराज जी ने कालीदास जी का मेघदूतम का उदाहरण दिया है। आप भी तो विद्यापति जी का कुछ उदाहरण दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, आपने विद्यापति जी के बारे में कहा, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन विद्यापति जी द्वारा बाल विवाह पर बहुत रोचक गीत बनाया गया है, उसके बारे में बताउंगा। इस गीत में पति छोटा है, पत्नी बड़ी है, बेमेल ब्याह है, पत्नी पति को गोदी में लेकर जा रही है तो लोग रास्ते में पूछते हैं कि यह कौन है तुम्हारा? इस पर विद्यापति जी ने कहा है -

पिया मोरा बालक, हम तरुणी हे,

कौन तप चूकलहूं, भेलहूं जननी हे,

पिया मोरा बालक।

इसका अर्थ है पिया मेरा बालक है, मैं जवान हूं, हम विधाता के घर में चूक गए कि हम औरत बन गए, जननी बन गए कि आज इतने छोटे बालक से हमारे माता-पिता और समाज ने शादी कराकर अन्याय किया है। तब वह लोगों के मार्फत संदेश भेजती है और कहती है -

बाट रे बटोहिया, कि तूं ही मोरा भैया, कि हमरो समाद नेने जा। कही दीह बाबूजी से किनयी धेनु गाई,

दुधवा पिलाई के पोसथि जमाई।

सभापति महोदय: आज आपका भाषण आपके क्षेत्र में बहुत रुचि से सुना जाएगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा कि आप बारहमासा की बात कहते हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): इस हाउस की महिला मैम्बर चाहती हैं कि आप दो-चार लाइनें और सुनाएं।

सभापति महोदय : हरीश जी, महिला मैम्बर की भावना आप कैसे समझ गये?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति जी, हम इसलिए समझ गये कि रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने महादेव जी के द्वारा पार्वती जी को कहलवाया है - 'खग जाने खग ही की भाषा'। सतपाल महाराज जी यहां महादेव जी की चर्चा कर रहे थे। महादेव तो अर्द्धनारीश्वर हैं, वह आधी नारी हैं, आधे पुरुष हैं। इसका मतलब यह है कि हम सब जिस दिन अपने को आधी नारी और आधा पुरुष मान लेंगे, उस दिन विश्व का कल्याण हो जायेगा। जिस दिन हम सब अपने आपको अर्द्धनारीश्वर मान लें तो हम उसका सम्मान करना सीख जायेंगे।

मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा कि सम्पूर्ण लोक भाषाओं, सम्पूर्ण देशी भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहित किया जाए, संकलित किया जाए, उन्हें एक आधार बनाया जाए, उनका एक विश्वकोश बनाया जाए और उसे सब जगह प्रचारित किया जाए। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि आपने बारहमासा कहा, बारहमासा में गरीब की बेटी गाती है, जिसका पिया परदेस गया हुआ है - "भादों हे सखी, शब्द सुहावन, रिमझिम बरसत मेघ हे, सबके बलम रामा घर-घर आएल हमरो बलम परदेस हे।" मैं कहना चाहता हूं कि जो लोक भाषा है, उस लोक भाषा की अपनी पीड़ा है, अपनी वेदना है और अपनी व्यथा है। पाणिनि ने कहा कि व्याकरण कुछ नहीं है, बल्कि जनता जिस बोली में बोलती है, वही व्याकरण है और जन भाषा के लिए न व्याकरण चाहिए, न जन भाषा को लिपि चाहिए। अब अवसर आया है कि हम उन जन भाषाओं को आकार दें, विचार दें, लिपि दें, व्याकरण दें और उन्हें प्रतिष्ठित करें और सम्पूर्ण विश्व को चुनौती दे दें कि भारत में जितनी हमारी भाषाएं हैं, यदि सम्पूर्ण विश्व की भाषाएं एक तरफ और भारत की लोक भाषाएं एक तरफ रहेंगी तो सम्पूर्ण विश्व की भाषाएं हमारी भाषाओं के सामने 25 प्रतिशत भी नहीं ठहर पायेंगी। यह हमें स्वाभिमान के साथ खड़े होकर कहना चाहिए।

महोदय, इसके साथ ही मैं श्री सतपाल महाराज को धन्यवाद देते हुए उनके विधेयक का समर्थन करता हूं। उत्तराखंड देवलोक हैं, मैं उस देवलोक में बसने वाले सभी देवों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आपने पशुपति शब्द कहा, पशुपति में तो बैल का ही सिर है। पशुपति में जो सिर है, वह बैल का सिर है। इसीलिए भारत की संस्कृति में कहा गया है कि बैल ही पशुओं का पति है, क्योंकि उसी से रोटी मिलती है, उसी से आर्थिक आधार बनता है। इसलिए उस गोवंश और पशुपति की भी रक्षा होनी चाहिए, तभी देश में लोक भाषा की रक्षा होगी।

सभापति महोदय : हुक्मदेव जी, क्या आपने कभी बदरीनाथ और केदारनाथ की यात्रा की है?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : वही बाकी हैं।

सभापति महोदय : यह तो वही हुआ कि रामायण पढ़ गये, लेकिन सीता कौन है, यह पता नहीं है। श्री शैलेन्द्र कुमार जी, अब आप बोलिये। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि यदि आप भी सस्वर कुछ गाते हों तो आज सुना दीजिएगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे श्री सतपाल महाराज जी, जो इस सदन के बहुत विद्वान माननीय सदस्य हैं, के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक, 2010 की आठवीं अनुसूची में संशोधन वाला बिल है और जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को, जो उनके राज्य की भाषा है, उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मेरे ख्याल से वह उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा नहीं, बल्कि देश-विदेश में जहां भी पहाड़ों के लोग रहते हैं, वे उस भाषा को बोलते हैं। अभी बहुत विस्तार से श्री सतपाल महाराज जी और श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी ने बताया और यादव जी ने तो बहुत ही राग-रागिनी के साथ अपनी बात रखी है।

महोदय, यह देश बहुभाषी देश है। मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे इलाहाबाद में हर 15-20 किलोमीटर के फासले पर आप जिस क्षेत्र में भी निकल जाएं तो वहां भाषा अपने आप बदल जाती है। यदि आप इलाहाबाद में खड़े हैं और आप यमुना पार कर जाइये,

जो मुश्किल से 10-15 किलोमीटर है, भाषा अपने आप बदल जाती है। आप गंगा पार कर जाइये, अपने आप वहां की भाषा बदल जाती है।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : दस कोस पर भाषा बदले, बीस कोस पर पानी।

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह बहुभाषी देश है और इसलिए भारतवर्ष की संस्कृति, सभ्यता और सार्वभौम के बारे में विदेशों में भी बखान होते हैं। अपने यहां की संस्कृति की कोई मिसाल नहीं है। एकता में भी विभिन्नता है चाहे वह भाषा के नाम पर हो या वेशभूषा के नाम पर हो। अभी सतपाल महाराज जी और हुकमदेव नारायण यादव जी ने भी बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन राजभाषा की मांग इस सदन में कई बार उठ चुकी है। मैं बिल की सूची देख रहा था, इसमें 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। पिछली बार इसी सदन में प्रभुनाथ सिंह ने एक रेजोल्यूशन द्वारा बहुत विस्तार से चर्चा की थी। गृहमंत्री जी ने भी कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। जब शून्य प्रहर में आप पीठ पर थे तो मैंने भोजपुरी भाषा के बारे में अपनी बात कही थी। हमारे अर्जुन मेघवाल जी ने भी अपनी बात रखी थी। मैं क्षेत्रीय भाषाओं का पुरजोर समर्थक हूँ। व्यक्ति के सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यों का सृजन और विकास इन्हीं भाषाओं के इर्द-गिर्द होता है, जिससे देश के वासी चाहे वे किसी भी कोने में हों, वे उस रूप में जाने जाते हैं। आपने भी पीठ से कहा था कि मैं महुआ चैनल पर भोजपुरी गीत-संगीत और पिक्चरें आदि आती हैं। देश-विदेश में 25 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। इसी दिल्ली में वृहद रूप से बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। हमारे महाबल जी यहां पर नहीं हैं, वे सदन में कहते हैं और हम लोगों से भी कहते हैं कि अगर हम आज इस सदन में चुन कर आए हैं तो इस देश में उत्तर भारत के जो लोग हैं खास कर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड के भोजपुरी भाषा बोलने वालों के वोटों के द्वारा हम चुन कर आए हैं। उनकी भी बड़ी वेदना थी कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस सदन में आश्वासन मिलने के बावजूद और राज्यों से प्रस्ताव आने के वावजूद भी आज तक केंद्र सरकार ने कभी सोचा नहीं है। मेरे ख्याल से जो 22 भाषाएं हैं, किस स्थिति में यहां पर उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है? मैं तो आपके माध्यम केंद्र सरकार से पुरजोर मांग करता हूँ जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन सब को संविधान की 8वीं अनुसूचि में रख देना चाहिए। यह मेरा पुरजोर समर्थन है और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ।

मैं यह मांग नहीं करता कि इलाहबाद में 15-20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, उनको शामिल किया जाए। लेकिन वे भाषाएं लम्प-सम समझ में आती हैं और लगभग हिंदी से मिलती जुलती है। हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसको हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा और सम्मान दिया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गृह मंत्रालय के द्वारा हिंदी का प्रचार-प्रसार में करोड़ों-अरबों रूपये खर्च होते हैं। कमेटियां दौरे के लिए देश-विदेश में भी जाती हैं। जितने भी मंत्रालय हैं उनमें प्रचार-प्रसार के लिए मैगज़ीन मिलती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसी विभाग में अगर हम जाते हैं, जिस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, उस दिन मेरे ख्याल से जो हिंदी नहीं बोलता है, वह भी हिंदी बोलता है। हिंदी दिवस मनाने के बाद दूसरे दिन उस विभाग में जाइए तो सब अंग्रेजीमय हो जाता है। आज यह स्थिति है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, शिक्षक हैं और अंग्रेजी जानते हैं लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजी में नहीं बोला। डॉ. लोहिया जी ने कसम खिलाई थी। खरगे जी बैठे हैं, वे साउथ इण्डिया से हैं लेकिन बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं।

वे बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं, वे हिन्दी में जवाब भी देते हैं, इसीलिए वे इंगित करते हैं कि हिन्दी में बात कीजिये।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, अंग्रेजी बोलना स्टेटस सिंबल बन गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हां महोदय, आपने सही कहा कि अंग्रेजी बोलना स्टेटस सिंबल बन गया है। आज पूरे भारतवर्ष में देखा जाये तो ज्यादातर लोग हिन्दी बोलते हैं। हम लोग हिन्दुस्तान के बिल्कुल कोने पर गये, जैसे अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, कहीं भी बॉर्डर पर जाइये, लेह, लद्दाख आदि, हमारे मंत्री जी श्री वी.िकशोर चन्द्र देव जी यहां बैठे हैं। हम लोग लेह, लद्दाख गये, वहां भी लोग हिन्दी में बोल रहे थे। मैं वर्ष 1985 में विधायक था। एक रसिया का डेलीगेशन आया था, संस्कृति विभाग की मंत्री जी आयी थीं। वे जहां भी गये, वे हमारे इलाहाबाद भी आये, एडवोकेट जनरल शान्ति स्वरूप भटनागर जी ने डेलीगेशन को खाने पर बुलाया। उसमें एमपीज़ थे, मिनिस्टर थे, वे सब रसियन भाषा में बोल रहे थे, जबकि वे अंग्रेजी जानते थे। उनकी भाषा को अंग्रेजी, हिन्दी में ट्रंसलेट करने वाले लोग थे। हम विदेशों में जाते हैं, मैंने देखा है कि वहां पर बहुत से लोग अपनी भाषा में बोलते हैं और हिन्दी और अंग्रेजी में वह ट्रंसलेट होता रहता है। महोदय, जैसा आपने कहा कि यह स्टेटस सिंबल है, उस हिसाब से लोग बोलते हैं कि अगर हम अंग्रेजी बोल लिये तो हम बहुत बड़े काबिल हो गये। यह स्टेटस सिंबल हो गया है।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, यह सिर्फ स्टेटस सिंबल ही नहीं है, इससे सर्विस भी मिलती है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं शून्य काल में इस बात को उठाना भी चाह रहा था कि आई.ए.एस., पी.सी.एस. में, जब हमारे नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो तब उन्होंने कहा था कि अब हिन्दी में भी पी.सी.एस. का पर्चा होगा। पहले तो अंग्रेजी भाषा अनिवार्य थी, उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया और अपनी भाषा में, हिन्दी भाषा में लोगों ने परीक्षा दी और बहुत पी.सी.एस. अधिकारी बने, जो बहुत काबिल हैं। आज वे प्रदेश की सेवाओं में हैं। यहां तक कि वे पी.सी.एस. से आई.ए.एस. तक बने हैं। आज फिर से आई.ए.एस. में ऐच्छिक भाषा न करके उसमें अंग्रेजी का एक सब्जेक्ट अनिवार्य कर दिया गया है। आज स्थिति देख लीजिये कि जो रिजल्ट आया है, उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तमाम ऐसे हिन्दी भाषी राज्य हैं, जहां से आई.ए.एस. अधिकारी बहुत कम संख्या में चयनित होकर आये हैं। क्या हम अंग्रेजियत को एक बढ़ावा दे रहे हैं?

महोदय, इस पर हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चूंकि मैं विषय से थोड़ा सा अलग हट रहा हूं, लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि भारतवर्ष की जो संस्कृति, सभ्यता है, यहां की अनेकता में जो एकरूपता है, इसे कायम रखने के लिए हमें गंभीरता से सोचना होगा। आज भी हमारे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने हिन्दी में आई.ए.एस. किया है और उनकी पोस्टिंग देश के अन्य कोने में है। आई.ए.एस. अधिकारी ऐसा होता है कि चाहे वह किसी भी विभाग में जाये, वे उसके ज्ञाता समझे जाते हैं। जब आपने इतना बड़ा सम्मान दिया है तो कम से कम जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो बात सतपाल महाराज जी ने रखी है, हमें इसका समावेश करना चाहिए।

महोदय, मैं दूसरी बात उर्दू के बारे में कहना चाहूंगा। हिन्दी बोलते हैं तो उसमें उर्दू जरूर आती है, कहीं न कहीं उर्दू शब्द का समावेश हिन्दी में जरूर है। इनका छोटी बहन और बड़ी बहन का रिश्ता है। अब स्टेटस सिंबल यह है कि अगर हिन्दी बोल रहे हैं तो उसमें अंग्रजी जरूरी भिड़ा देते हैं। यह बात आम भाषा में चल पड़ी है, इसे हमें देखना पड़ेगा और खासकर हमें विदेशों से सीख लेनी पड़ेगी कि वहां के लोग अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। हमें इससे सीख लेनी चाहिए। मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए फिर एक बार भोजपुरी भाषा, जिसे 25 करोड़ लोग बोलते हैं, उस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उसे भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

सभापति महोदय : श्री गोरखनाथ पाण्डेय।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी आप तो स्वयं शिक्षक रहे हैं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): जी, महोदय।

सभापति महोदय : क्या अभी भी शिक्षक हैं?

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : जी, महोदय।

सभापति महोदय : मुझे पूरा विश्वास है कि आप एकदम लक्ष्य पर बोलेंगे।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : जी, महोदय। महोदय, मैं यहां से बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : हां, बोलिये।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय सतपाल महाराज जी द्वारा रखे गये बिल- उत्तराखंड में बोली जाने वाली गढ़वाली एवं कुमांउनी भाषा को देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में रखने का जो बिल है, उसके समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, किसी भी देश की पहचान, किसी भी राष्ट्र की पहचान, किस प्रांत की पहचान वहां के वेशभूषा, वहां की भाषा, वहां के आचरण, वहां के खान-पान, वहां की वनस्पतियों, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों और वहां के वातावरण से होती है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि यह देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहां विभिन्नता में एकता है। यहां के कवियों ने, यहां के संतों ने, यहां के सूफ़ियों ने, यहां के मार्गदर्शकों ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज हम उनकी एक-एक चोपाइयों पर शोध कर रहे हैं, पीएचडी की डिग्रियां ले रहे हैं। सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की बात कही। यह कहने में संकोच नहीं कि यह देश की देव भूमि है। हमारे हिंदू धर्म में लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं और उन चारों धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री जाकर लोग अपने आपको धन्य मानते हैं। इस जन्म और आगे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि मुझे अच्छा जन्म मिलेगा। वहां की संस्कृति, व्यवस्था और प्राकृतिक दृश्य के साथ-साथ वहां की भाषा भी अतुलनीय है। मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला है। इसी गर्मी के सीज़न में मैंने चारों धाम की यात्रा की। मुझे गर्व हुआ कि बद्रीनाथ जाने के बाद मुझे महाराज जी के आश्रम में रुकने का अवसर मिला। केदारनाथ, जहां के बारे में महाराज जी बता रहे थे कि देवताओं ने, पांडवों ने अपनी यात्रा के दौरान शिव जी के दर्शन की इच्छा जाहिर की थी, तपस्या की थी। उनका एक सिरा नेपाल में और दूसरा सिरा उत्तराखंड में केदारनाथ के रूप में स्थापित है। हम सभी भारत के लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने को धन्य मानते हैं।

महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में हर 10-15 किलोमीटर चलने के बाद हमारी भाषा बोली कुछ बदलने लगती है। उनमें वह मिठास, माधुर्य, ओजस्विता और मधुरिमा है कि उसको बोलने में लोग गौरव का अनुभव करते हैं। हम जब पठन-पाठन की तरफ जाते हैं तो ऐसे कवियों की रचनाएं, जिनमें तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीरा बाई, रहीम, रस खान, संत रविदास और गुरूनानक जी हैं, जिन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की है, जो भारत की धरोहर हैं। अभी हुक्मदेव जी मैथिली की बात कर रहे थे। बड़ा अन्योन्याश्रयी संबंध है। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। उनका संबंध अवधी एवं भोजपुरी से था। मां सीता जगत जननी का जन्म मिथिला में हुआ। बड़ा ही एक-दूसरे से अन्योन्याश्रयी संबंध है। जब यहां के लोग वहां जाते हैं, अभी महाराज जी ने एक बात रखी कि उत्तरांचल में एक ढोल सागर की वाद्य धुन निकलती है, उससे पता चलता है कि बारात जा रही है, बारात लौट रही है। लगभग हर प्रांत में, हर प्रदेश में ऐसी चीजें हैं। हर तरफ बारहमासी गीत गाए जाते हैं। हर एरिया में अपनी भाषा की मधुरता है, लेकिन मिथिला और भोजपुरी का बड़ा संबंध है। हम एक-दूसरे से बहुत लगाव रखते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं।

सभापति महोदय : भोजपुरी इलाके का होने के नाते कुछ वर्चस्व मिथिला पर लगता है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : मैं उधर की ही बात कर रहा हूं। जब हम लोग उन भाषाओं की मधुरिमा पर जाते हैं, तो लगता है कि ये देश की धरोहर हैं। आज जरूरत है कि देश में जो विभिन्नता में एकता देखने को मिलती है, आज यहां हम सभी एक हैं, यह धुन निकलती है और यह बात कहती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वे सारी यही बातें हैं, जो हम एक-दूसरे से मिलकर गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। हम विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। हम देश-विदेश की यात्राएं करते हैं। हम लोगों के बीच आते-जाते हैं। लोगों के रहन-सहन, वेश-भूषा से परिचित हैं, लेकिन यहां भी हमें हमारे पहनावे से जाना जाता है कि हम किस प्रांत के लोग हैं। हमारी भाषा से जाना जाता है कि हम किस प्रदेश के लोग हैं। हमारे आचरण से जाना जाता है कि हम कहां के रहने वाले लोग हैं। इसे सुरक्षित, संरक्षित रखने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सतपाल महाराज जी ने जो अपनी बात रखी है, यह बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ भोजपुरी भाषा, जिसे 25 करोड़ लोग बोलते हैं, जिस भाषा में अनेक ग्रंथ, ग्रंथावलियां सुरक्षित हैं, जिसने देश को संस्कृति दी है, जिसने देश को सभ्यता दी है, जिसने देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे वीर पुरुष जहां पैदा हुए हैं, उन भाषाओं को भी आठवीं अनुसूची में रखने की जरूरत है। मैं सतपाल महाराज जी की बातों का समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि भोजपुरी और मैथिली के साथ-साथ अन्य बारह भाषाओं को भी इसमें सुरक्षित रखा जाए ताकि देश में विविधता में एकता जो कही जाती है, उसका जीवन्त स्वरूप हमें देखने को मिले।इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, अब मुझे लगता है कि भोजपुरी को कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग हर एक में भोजपुरी को ठूंस दे रहे हैं।

1636 बजे

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): माननीय सभापति महोदय, श्री सतपाल महाराज साहब ने जो कहा है।

सभापति महोदय : जब आपने महाराज कह ही दिया है तो फिर साहब कहने की क्या जरूरत है?

श्री मंगनी लाल मंडल : असल में ये प्रवचन देते हैं और समाज के बीच सदभावना पैदा करते हैं तो एक विशेषण इनके प्रति तो रहना ही चाहिए। इनके प्रति समाज में एक सम्मान है तो इसका प्रदर्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने महाराज और साहब दोनों कहा।

सभापति महोदय : महाराज के सामने साहब बहुत बौना शब्द है।

श्री मंगनी लाल मंडल : कबीरपंथ के बारे में हुकुमदेव जी ने ठीक ही कहा कि हम लोग जब कबीरपंथियों के बीच जाते हैं तो कहा जाता है साहबबंदगी, मतलब साहब की बन्दगी।

मैं इस प्रस्ताव पर विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, हम लोग यह जानते हैं कि भाषा और लिपि, दोनों के आविष्कार ने मानव सभ्यता को संस्कृति का आधार दिया, मानव समाज को स्वर दिया और मानव समाज को सांस्कृतिक और शैक्षणिक कृंति के लिए आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किया। भाषा की बड़ी भूमिका है। समय-समय पर भाषा की भूमिका बदलती रहती है। हमारे देश में कई भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं। हम लोग जानते हैं कि भाषा का मतलब जिसका व्याकरण का आधार हो, भाषा का मतलब जिसका ग्रामर हो, शब्दकोष हो। भाषा, जिसकी अपनी लिपि हो। जिसकी अपनी लिपि न हो, जिसका अपना व्याकरण न हो, जिसका अपना शब्दकोष न हो, ये बोलियां हैं। देश में ऐसी बहुत सारी बोलियां हैं, जो भाषाओं से ज्यादा व्यापक हैं।

महोदय, आपके यहां झारखंड में विश्वविद्यालयों में "हो " और संथाली बोली पढ़ाई जाती है।

सभापति महोदय : मंडल जी, क्या आपको पता चला कि कल झारखंड ने दस क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीयक भाषा घोषित कर दिया?

श्री मंगनी लाल मंडल : यह बहुत अच्छा हुआ। झारखंड में हो रहा है या बिहार में हो रहा है, यह एक ही बात है। सरकार ने बोलियों को मान्यता दी है तो यह अच्छा काम किया है। यह होनी ही चाहिए। हो बोली विश्वविद्यालय स्तर में एम.ए. तक पढ़ाई जाती थी लेकिन हो और संथाली भाषा का व्यापक असर है और हमारे राजकाज में इसकी बड़ी भूमिका है। इसका निर्धारण नहीं हुआ था। मैंने कहा कि भाषा की भूमिका रही है। हमारे देश में भाषा की भूमिका दरबारों में रही है, हमारे राजकाज में रही है, कवियों की वाणी और लेखनी में रही है, साहित्यकारों के साहित्य में रही है और जो मनीषी हैं उनकी देववाणी में रही हैं। यह भाषाओं की भूमिका रही है। लेकिन जो दरबार की भाषा रही है, वह कहीं विकसित हुई, कहीं राजकाज की भाषा बनी।

आज अंग्रेजी के बारे में आपने कहा कि यह स्टेटस सिम्बल हो गया है। यह ठीक है कि स्टेटस सिम्बल के साथ-साथ यह सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक प्रमुख अंग बनता जा रहा है क्योंकि सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कृंति के आधार पर समाज की जो रचना होती है, उसमें भाषा की बड़ी भूमिका होती है। मानव जीवन का जो उत्थान और विकास हुआ है, उसमें भाषा और बोली का बड़ा महत्व रहा है। इसमें कहा गया है, इन्होंने अभी तक गढ़वाली और कुमाऊंनी, इन दो भाषाओं का 13वीं शताब्दी से उल्लेख किया है कि यह राज-काज की भाषा थी। इसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि उस समय तक हिन्दी संगठित नहीं हुई थी या प्रचलित नहीं हुई थी। यह बात ठीक है कि उस समय हिन्दी प्रचलित नहीं हुई, गढ़वाली और कुमाऊंनी राज-काज की भाषा थी। इन्होंने प्रारम्भ में नहीं कहा, जब आपने टोका तब इन्होंने कहा कि इसका व्याकरण एवं शब्दकोष है, लेकिन जनसंख्या के मामले में बहुत आधार नहीं है। यह उत्तराखंड तक सीमित है। हिन्दी आते-आते जब बहुत ज्यादा कवियों और मनिषियों के माध्यम से इसका फैलाव हुआ, इसका दरबार में संरक्षण नहीं किया तो एक समय ऐसा आया कि न सिर्फ महात्मा गांधी जी ने, बल्कि सुभाषचन्द्र बोस जी ने भी कहा कि इस देश को अखंड रखना है, आजाद करना है और इस देश के कोने-कोने में संवाद को फैलाना है तो एक ही भाषा हो सकती है और वह हिन्दी भाषा थी। आज अगर सुभाषचन्द्र बोस जी बंगाल में पैदा होते तो वे कहते कि हिन्दी नहीं, अंग्रेजी बोलो। क्योंकि वे गुलाम भारत में पैदा हुए थे और उस समय अंग्रेजी की भूमिका ऐसी निर्धारित नहीं की थी, हमारे आर्थिक जीवन में, रोजगार की भाषा अंग्रेजी नहीं बनी थी। आज अंग्रेजी रोजगार की भाषा हो गई, हमारे आर्थिक जीवन की संपूर्ण गतिविधियों पर अंग्रेजों ने कब्जा एवं एकाधिकार कर लिया है, इसलिए आज हिन्दी उपेक्षित है और इसीलिए हिन्दी के साथ जितनी बोलियां एवं भाषाएं हैं, वे सब उपेक्षित हैं।...(व्यवधान)

श्री हुकमदेव नारायण यादव : सभी भाषाएं बहनें हैं।...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : हां, सभी भाषाएं हिन्दी की बहनें हैं। इसलिए डॉ. राममनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि अंग्रेजी तो कल की छोकरी है। इसने दुनिया की सभी भाषाओं के शब्दों को समाहित कर लिया है। हिन्दी जितनी समृद्ध है, उतनी समृद्ध अंग्रेजी नहीं है। लेकिन अंग्रेजी ने हमारे जीवन, देश और राज-काज पर कब्जा कर लिया है, इसलिए इस देश का समुचित विकास होना चाहिए, जिसमें आज क्षेत्रीय असंतुलन दिखाई दे रहा है। तटवर्ती इलाकों में अंग्रेजी आई, इन इलाकों का बड़ा विकास हुआ और मध्यवर्ती इलाकों में अंग्रेजी नहीं आई, इसलिए मध्यवर्ती इलाकों का विकास तटवर्ती इलाकों के मुकाबले में कम हुआ। इसीलिए डॉ. लोहिया ने कहा कि अंग्रेजी जिस रूप में आई थी, उसका काम खत्म हुआ। अगर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है और समाज में जो गैर-बराबरी है, उसे दूर करना है तो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रिय बोली और राष्ट्र भाषा हिन्दी को प्रतिष्ठित करना होगा। इसलिए डॉ. लोहिया कहते थे कि तुम्हें अगर हिन्दी से प्रेम न हो, खरगे साहब जहां से आते हैं, ये बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं। मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा जवाब देते हैं। लेकिन ये जिस प्रदेश से आते हैं, वहां अंग्रेजी का बोलबाला है, क्योंकि हिन्दी के खिलाफ एक घृणा पैदा की गई है। वहां यह कहा गया कि हिन्दी मत अपनाएं, ये कहें कि अंग्रेजी जाए, तमिल, तेलगु, मलयाली एवं बंग्ला आए, इसी में बोलो, डॉ. लोहिया जी ने यह कहा था। श्री सतपाल महाराज जी ने अपने भाषण में कहा कि आज हमारी भाषा क्यों नहीं समृद्ध हो रही हैं? आज हमारी जितनी बोलियां हैं, जो भाषाएं हैं, उससे भी ज्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन वैसी बोलियों को भाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा रहा है, राज-काज का संरक्षण नहीं है। इसीलिए पहले अंग्रेजी में काम करते हैं।

सभापति महोदय, मैं जिस समय विद्यार्थी था, भारत सरकार में जितने स्तर पर हिन्दी का प्रचलन था, उतना आज नहीं है। जब हम हिन्दी में कोई पेटीशन भेजते हैं तो हमें आम लोग कहने के लिए आते हैं कि इसे अंग्रेजी में लिख दीजिए तो हमने उनसे कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि हिन्दी में पेटीशन देखते ही बाबू लोग उसे फेंक देते हैं, अनुवाद बाद में होता है, लेकिन पेटीशन को फेंक दिया जाता है। मंत्री जी उसे नहीं पढ़ते हैं और अगर वे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हिन्दी को समझना मुश्किल है। यह उनका एक अहंकार भीतर से हो गया है कि हम अंग्रेजी को जानते हैं और हमें अंग्रेजी का ज्ञानी तभी समझा जाएगा, जब हम हिन्दी के प्रति नफरत पैदा करेंगे। जो हिन्दी के प्रति नफरत पैदा करते हैं, वे क्षेत्रिय भाषा, क्षेत्रिय बोलियों के प्रति समादर और आदर का भाव प्रकट नहीं करते हैं। इसीलिए जो उन्होंने प्रस्ताव किया है, 22 भाषाओं को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। अभी शैलेन्द्र जी ने ठीक ही कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। हुकमदेव बाबू ने इस मामले में बहुत ही रोचक तरीके से कहा, वे समाजवादी आन्दोलन से आये हैं और हम भी इनके पीछे-पीछे समाजवादी आन्दोलन में थे और समाजवादी आन्दोलन के माध्यम से ही महात्मा गांधी डॉ. राममनोहर लोहिया को और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों को समझ पाये तो देश को समझ पाये, देश की सांस्कृतिक विरासत को समझ पाये और इसलिए उत्तराखंड की जो ये भाषाएं हैं, ये तो देवलोक की भाषाएं हैं। जैसा लोगों ने कहा कि सारे देश

का हिन्दू धर्मावलम्बी, साष्टांग दण्डवत ये लोगों को कराते हैं, चाहे बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो, इसलिए इन दोनों भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता तो मिलनी ही चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंडल जी, आप बद्रीनाथ-केदारनाथ के इलाके में गये हैं?

श्री मंगनी लाल मंडल : जैसा हुक्मदेव बाबू ने हाथ जोड़ कर कहा, वैसे ही मैं भी कहता हूं कि मैं हरिद्वार गया और ऋषिकेश तक गया, लेकिन उसके आगे नहीं गया।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इसलिए बता रहा था कि उसके आगे जाकर जहां पर लिखा है, Welcome to the Valley of Gods. जैसे ही हम लोग, जहां से हेमकुण्ड का रास्ता टूटता है...(व्यवधान)

SHRI SATPAL MAHARAJ : It is Valley of Flowers.

सभापति महोदय : वैली ऑफ फ्लावर तो उधर हो गयी। Welcome to the Valley of Gods, कहा है कि देवताओं की घाटी में आपका स्वागत है। जैसे ही हम लोग श्रीनगर से आगे निकलते हैं तो वहां पर वह लिखा हुआ मिलता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि सतपाल महाराज जी सभी सम्मानित सदस्यों को वहां ले चलें। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सतपाल महाराज जी, अगर आप स्वीकार करें तो कई माननीय सदस्य आपके निमंत्रण पर वहां जाने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान)

श्री सतपाल महाराज : हां-हां, बिल्कुल।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : वहां सब आतिथ्य सत्कार आपको ही करना पड़ेगा।

श्री सतपाल महाराज : हां-हां, मुझे हृदय से स्वीकार है। ...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : वहां महाराज का इतना बड़ा आश्रम है और इतनी शिष्य मंडली है कि वे तो सारी संसद को बद्री आश्रम में बुलवा सकते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंडल जी, अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल : ठीक है, महोदय, हम कन्क्लूड करते हैं।

अब तक तो टी.वी. में ही महाराज साहब का प्रवचन सुनते थे। बहुत रोचक तरीके से ये बोलते भी हैं। अभी भी इन्होंने जो भाषण दिया, बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो ठीक ही सारे लोगों ने प्रस्ताव किया कि सब को वहां ले चलें, अपने आश्रम में रखें और वहां अपना प्रवचन भी सुनावें और हम लोग गदगद होकर हाथ जोड़कर कहें कि गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा को निश्चित रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में रखना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं सरकार से मांग करता हूं, सरकार के मंत्री यहां बैठे हुए हैं, सरकार सतपाल महाराज जी के इस विधेयक के साथ क्या व्यवहार करेगी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर देश को बचाना है, देश को समृद्ध करना है, देश में अगर एक स्वस्थ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सामाजिक आधार की संरचना करनी है तो हिन्दी सहित उसकी जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका विकास करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए और साथ ही साथ यह जो विधेयक है, कुमाउंनी और गढ़वाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान मिले, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और सरकार से भी अपील करता हूं कि इस विधेयक को मान लिया जाये।

सभापति महोदय : अगर हरीश जी को जवाब देना होगा, तब तो वे आसानी से मान जाएंगे।

श्री बी. मेहताब-लगता है कि आज आपको भी हिन्दी में बोलना पड़ेगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप हिन्दी में बोलिये।

श्री भर्तृहरि महताब : मुश्किल है।

सभापति महोदय : आप किसी भी भाषा में बोलें, आपका स्वागत है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to participate in the deliberations on this important Bill....(*Interruptions*) Yes, that could have been. I could have spoken in Oriya in a much better way. Our problem is, we come from a non-Hindi speaking State and we have to think in our mother tongue and speak in a foreign language. But the basic question is, if English today is a foreign language to us, when Members are speaking on the language, specially on English language, I would like to keep the record straight. The record of today in 2011 is, there are more English speaking people in this country of ours than in England itself; we have more English speaking people in India than in England itself; there are more English speaking people throughout the world than in the United States and in England itself. That is the beauty of that language and yet I would say it is a very funny language. It is a very funny language only with 26 alphabets. When we talk of our languages, the beauty of our languages, the languages that have been recognised as Official Languages comes to around 22 today which was 14 initially when the Official Languages Act came into existence

and subsequently, after deliberation, when a clause was inserted, during the Constituent Assembly Debate, that we should enforce Hindi as the Official Language within 15 years time, then all hell broke loose. That was the situation then and, that is why, standing there, the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru had to concede that we cannot force one language on another.

But I would like to take all Hindi speaking people a little further from the day Jawaharlal Nehru spoke about that. Was Hindi a standard language then? You had four specific *bolis*. You had *braj boli*, you had *khadi boli*, you had *awadhi* and all those four specific *bolis* were standardised.

श्री मंगनी लाल मंडल : महात्मा गांधी सौराष्ट्र, क्षेत्र गुजरात में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी न तो खड़ी बोली जानते थे, न अवधि बोली जानते थे और न कोई कबीर बोली जानते थे।

श्री भर्तृहरि महताब : वे हिन्दुस्तान के थे।...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : महात्मा गांधी ने कहा कि हिन्दू और हिन्दुस्तानी से ही इस देश को जगाया जा सकता है। इसलिए मैंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया। दोनों की मदर लैंग्वेज हिन्दी नहीं थी, लेकिन दोनों ने हिन्दी के माध्यम से देश को आजाद कराने का आंदोलन चलाया था।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I have no dispute with what Mr. Mandal is saying. I have no dispute in that. My only concern here is this. Was Hindi a standardized language in the 19th Century, in the early 20th Century? Please go into Hindi literature. What I am saying is, I have read those books while I was translating a book of Maithilisharan Gupt. Then only I came to know about all this. It is not that I do not read Hindi. I read Hindi, but I cannot speak as fluently as Mr. Mandal can speak, as fluently as Mr. Hukumdeo Naranyan Yadav can speak. But the history of coronation of Hindi language is one thing and inculcating a national fervour is another thing.

So, it all happened towards the later part when we approached independence. But subsequently, these are the versions which I can state here and there it was mentioned that the *Devanagiri* will be the only script. What does this signify? It did not have a specific script. Rajasthani had a separate script as Satyapalji is saying here. They have a separate script and in Bihar, there were separate scripts for Maithili and Bhojpuri as we had two separate scripts for Oriya. That was unique, I would challenge anyone.

MR. CHAIRMAN : There are no separate scripts for Maithili and Bhojpuri. The script is only *Devanagiri*.

श्री मंगनी लाल मंडल : लेकिन हमने देवनागरी को ऐडॉप्ट किया।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : ऐडॉप्ट किया है, मैं वही बता रहा हूं। There were different scripts for different languages.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : गुजराती और मराठी के बहुत से शब्द देवनागरी से मिलते हैं।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : अब भी मराठी में एक ऐलफाबेट ऐसा है जो हिन्दी, देवनागरी में नहीं है।...(व्यवधान) I may be allowed to speak....(*Interruptions*)

सभापति महोदय : प्लीज़, महताब जी को बोलने दिया जाए।

â€¦(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : लेकिन बाकी सारे ऐलफाबेट्स देवनागरी स्क्रिप्ट से मिलते हैं।...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इससे किसी भाषा का मेल नहीं है।...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : आप अभी हिन्दी के बारे में क्यों बोल रहे हैं, गढ़वाली और कुमाऊं के बारे में भी है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है। मंडल जी, यहां कोई डिबेट नहीं हो रही है। ये विचार हैं और महताब जी अपने विचार दे रहे हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It is, I think, during the last 12-13 years, this is the first time that this House is deliberating on language, on literature and whoever has spoken till now has dealt very much into the language and literature. That is the beauty of our country.

When my daughter was studying in Class VI, one evening she asked me a question. The question was, why this portion of our land is called a Subcontinent; China has bigger land mass than us, the USSR had much bigger land mass than us. Is it because more people live in this area, and that is why it is a Subcontinent? Then I referred to Britannica and even dictionary and started to find out what consists of a Continent so that we can call ourselves a Subcontinent, if not a Continent. It is because we are multi-lingual, we are multi-racial, we are multi-religious, which China is not.

What has been propounded for last many years in this House and outside that we should have one language. Then, should we say, we should have one religion? Should we say that we all belong to one race? This Constitution which has been adopted by our forefathers gives status, right to every citizen of this country to pursue his own religion, to pursue his own language and also to claim himself as a true Indian.

In this land mass, though it is divided, sub-divided many times, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Maldives, this land mass is a Subcontinent because we recognize every religion, every race, every language and we can add many more. That is why it is a Subcontinent, which Russia is not. They enforced a single language throughout that land mass and what happened. Everybody is aware that after a certain period of time that nation, as we can call it, broke. The super power demolished.

Today, what is happening in Tibet? A specific language, a specific idea is being thrust upon the Buddhists or the Tibetans in Tibet. That will create a problem, the Han, as it is called. I am not going into those aspects. But here, I would say, some years back a very alarming and also interesting news was published in many newspapers, that different organisations were making a survey in Assam. They found one specific language, which was shrinking year after year and hardly thousand people are speaking that language now. It is called 'Mori' language. The Constitution guarantees them that we have to protect that language.

Those who are actually interested in language and literature, everywhere whenever we sit in different symposia, people are saying that with the influx of electronic media, with the overburden of English language, our language will be shrinking and will be dead after five, ten or 15 centuries. Language is, as I understand, जैसे हम एक स्रोतस्विनी नदी की तरह कहते हैं। I hope it is not very Sankriticised. यह प्रवाह की तरह बहती रहती है।

सभापति महोदय : निरन्तर प्रवाह की तरह बहती रहती है।

श्री भर्तृहरि महताब : वह निरन्तर प्रवाह की तरह बहती रहती है। लेकिन जो लेंग्वेज, भाषा हमारी उड़िया भाषा में डेढ़ सौ साल पहले थी, वह अब नहीं है। वह बदलती रहती है। मैं अति नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज जब हमने हिन्दी भाषा को एक स्टैंडर्डाइज्ड भाषा के रूप में विकसित कर दिया है

Are you adding more vocabulary to that language? What is the concern of Satpal *ji*? Today, while he was speaking, he mentioned three-four words.

17.00 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

There was a query. When in 1963, the Official Language Act was enforced and subsequently it came into force in 1965, I would urge the Ministry of Home Affairs to find out as to how many words you have adopted in Hindi vocabulary from other Indian languages. ...(*Interruptions*)

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, पहले विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान पढ़ता था, रसायन शास्त्र पढ़ता था। अभी मैट्रिक के विद्यार्थी से पूछा जाए कि पदार्थ विज्ञान किसे कहते हैं, तो वह नहीं समझेगा। लेकिन अगर पूछें फिजिक्स किसे कहते हैं, तो तुंत समझ जाएगा। भाषा यही है। मैं मैट्रिक में जब गणित, पदार्थ विज्ञान पढ़ रहा था और रसायन विज्ञान पढ़ रहा था, तो प्रयोगशाला की एक-एक चीज का हिन्दी नामकरण था कि बीकर किसको कहते हैं, परखनली किसको कहते हैं। अभी किसी से कहें कि रसायनशास्त्र की प्रयोगशाला में यह बीकर है, यह परखनली है, तो वह नहीं समझेगा क्योंकि हमने उनका प्रचलन बंद कर दिया है। प्रचलन से उसे विज्ञान की भाषा नहीं बनने दिया। जब हिन्दी राज-काज की भाषा नहीं हो सकी, तो विज्ञान की भाषा कहां हो सकेगी?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : महताब जी को बोलने दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमने अपने मां-बाप को भुलाकर मम्मी-डैडी कर दिया। हमारे बच्चे आगे चलकर पूछेंगे कि मां क्या होता है, बाप क्या होता है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माताश्री, पिताश्री कहना भूल गए।

महताब जी, आप बोलिए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : They are only substituting. I would only like to mention here that in case of Oriya language what the Constitution said. It stated, it originated from Indo-European language family as Hindi also. This language is spoken by 3.3 per cent of the total population of this country. It is the State language of Orissa. Today, it is the second State language of Jharkhand. Oriya is also spoken by the people living in Assam. I do not see Mr. Paban Singh Ghatowar

today in this House but many people speak Oriya in Assam, in Singhbhum and Ranchi districts of Jharkhand, in Raipur, Raighar and Bastar districts of Chhattisgarh, in Medinipur district, and in some part of Bardhaman of West Bengal, and in Srikakulam and Visakhapatnam districts of Andhra Pradesh.

I would like to draw the attention of this House to one peculiar thing. Assam had a script. They had their own script as Oriya had two scripts, one to communicate with the Southern part of this country and the other to communicate with the Northern part of this country. Ultimately, after Independence, we adopted the Northern part script as Oriya is being written now. That has been enshrined in the Constitution. But for the Southern part, as we used to call it, it had a different script. It was a different script to the Southern part of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka. Those people who were communicating with those parts, they were writing in that script. The language was Oriya but the script was a little different. That has been killed totally.

Here I am reminded of one instance when Gurudev Rabindranath Tagore became a State guest of Orissa in 1938. He was ill. He was recuperating at Puri. He stayed there for more than 2-3 months. At that time, he interacted with the State leaders of Orissa Province. At that time, very peculiarly, he had an idea. He said: "Why are you having a separate script?" You can adopt Bengali script. You can write very well in this script. Let us have Bengali script as we have done in Assam. Bengali script is being used to write Assemmee. Assam has lost its script.

That was the idea which was floated by Gurudev Rabindranath Tagore to our people when he was the State Guest of Orissa. That idea was vehemently opposed by the leaders of Orissa. We protected our script. We have done away with one script but another which we do, which we have kept, that script is there. A vast amount of literature is being written in that script.

We have a script. Script is the foundation of a language and literature comes subsequently. As on today, we have more than 4,000 odd dialects in our country but all the dialects do not have scripts. Today, in different spheres, a number of committees have been formed. A Committee was formed under the Chairmanship of Dr. Sitakant Mahapatra. He has given a number of suggestions relating to the language which can be accepted or incorporated in the Constitution of India. In our Constitution, we have gone up from 14 languages to 22 languages to give recognition to regional aspirations. The Constitution provides that methodology. We have given recognition to regional aspirations. The more it gives the better it is. We have seen as to what has happened in the Soviet Russia and China.

Sir, I am reminded of another incident. It is a matter relating to Bihar, Jharkhand and Orissa. Englishmen had made different Presidencies as was the Presidency of West Bengal. It was divided and sub-divided and ultimately after 1911 it became Bihar and Orissa province. There were a number of feudal States in between. There, the Court language was English. They were against the imposition of Hindi. In the Western part of Orissa, in Sambalpur, they first took the cudgels that it should be the Oriya language which should be the Court language but not the Hindi language. Sambalpur is nearer to Raipur. That happened in 1894.

Even in my house, I have a number of seals – my great grandfather had written these seals and put them on certain records – they were written in Parsi. Some were written in Urdu because that was the Court language. During the British regime, English language became the Court language. It still remains the Court language. We are doing nothing about that. A poor person has to take the help of lawyers like Shri Vijay Bahadur Singh, because he can speak in English, he can argue in English, he can give him justice in English. How many are saying that let us do away with it?

I would only urge that when Dr. Sitakant Mahapatra's report is before the government, we should recognise the regional aspirations of our country. Not only recognise them but also identify them and promote them. If we want certain languages to be developed into a State Language then those State Languages also have to take different *Shabdawali,* so that it can be used; it can be frequently used and found in literature and in different parts of our usage.

With these words, I support the Bill.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Mr. Chairman, Sir, the hon. Member of Parliament, Shri Satpal Maharaj ji, has introduced a Bill under the nomenclature of the Constitution (Amendment) Bill, 2010. ...(*Interruptions*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : रंजन जी, हिंदी में बोलो, बंगाली हिंदी में बोलो।

श्री शैलेन्द्र कुमार : चौधरी साहब, हिंदी में बोलो।

श्री अधीर चौधरी : मैं श्री शैलेन्द्र जी से पूछूंगा, क्योंकि वे कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कभी इंग्लिश में नहीं बोला। सही बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उनके जो बेटा-बेटी, पोता-पोती हैं, वे कहां पढ़ते हैं? ...(व्यवधान) हम लोग मुंह से एक बात कहते हैं लेकिन काम दूसरा करते हैं, यह भी सही नहीं है। ये दो किस्म की बातें हैं। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, इस समय वातावरण ऐसा बना दिया गया है कि आज हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ...(व्यवधान) व्यवस्था परिवर्तन की बात है, यह मैं कह रहा था।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमारे बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो बैकवर्ड, शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्ज को आई.ए.एस, आई.पी.एस में कोई घुसने नहीं देगा। ...(व्यवधान)मजबूरी में पढ़ते हैं। हमें फोर्थ-ग्रेड में भी कोई नहीं रखेगा। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Shri Adhir Chowdhury says.

*(Interruptions) â€¦ **

श्री अधीर चौधरी : एक बात आप मेरी सुनिये। जब हमारा संविधान 1950 में बना था तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया था, लेकिन उसके साथ यह भी उसमें प्रॉविजन था कि 15 साल के अंदर, अगर संसद सोचे तो अंग्रेजी भाषा नहीं रहेगी, केवल हिंदी रहेगी। लेकिन हम लोग तय नहीं कर सके। उसके बाद 1963 में जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया तो हमने दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज में रख दिया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं उस भाषा में बोलिये।

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, in this legislative document, it has been proposed that *Garhwali* and Kumaoni languages should be accorded the status and honour of national languages by including them in the Eighth Schedule to the Constitution.

सर, मेरा पहला सवाल यह है कि हमारे देश में नेशनल बर्ड, नेशनल एनीमल, नेशनल फ्लैग हमें मालूम हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि हिंदुस्तान एक हिट्रोजिनिअस सोसाइटी है, जहां मल्टी-लिंग्वल, मल्टी-रिलीजिअस, मल्टी-कल्चरल, मल्टी-रेशिअल सोसाइटी है। अगर हम ब्रिटेन में जाएं तो 95 परसेंट लोग इंग्लिश में बात करते हैं, फिर भी इंग्लिश वहां ऑफिशियल लैंग्वेज है। दूसरी तरफ आप अमरीका जाएं तो वहां इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज है, इंफोर्मल-वे में। लेकिन हिंदुस्तान में हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज और साथ ही साथ 22 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि शैडयूल्ड लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज। यहां बिल में मांगा गया है कि शैडयूल्ड लैंग्वेज की तरह इसे दर्जा दिया जाए। महोदय, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज मीडियम आफ एक्सप्रेशन होती है। जब कोई लैंग्वेज की बात आती है, तो साथ ही साथ एक जियोग्राफी, एक टैरिटरी सामने आती है। इसमें टेरिटोरियल लैंग्वेज हो सकती है, कोमेंट्री लैंग्वेज हो सकती है और सैंट्रल तथा रीज़नल लैंग्वेज हो सकती है। भारत में आज से पांच हजार साल पहले हम लोगों ने भाषा को ओरिजनेट होते देखा। पहले इसकी पचास pictorial फार्म थीं। यह ट्रेसफार्म होकर पिक्टोरियल स्पीक आ गई। उसके बाद ओर्थोग्राफिक्स आ गया। यह बड़ा ट्रंजिशन है कि प्रोटो लैंग्वेज जमाने से हम लोग मार्डन लैंग्वेज जमाने में आ चुके हैं। अगर इस बीच देखा जाए तो तीन केटेगिरी में हम इन्हें बांट सकते हैं। एक इंडो आर्यन, दूसरी तिब्बत वर्मन, तीसरी द्रविड़यन है। हिंदुस्तान में 73 फीसदी लोग इंडो आर्यन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तीन फीसदी लोग दूसरी भाषाएं यूज करते हैं, बाकि लोग द्रविड़यन लैंग्वेज यूज करते हैं। द्रविड़यन लैंग्वेज के अंदर भी 73 किस्म की डायलेक्टस है, जैसे हिंदी में 17 किस्म की डिस्टिंक्ट डायलेक्स है। एक डायलेक्स से दूसरे डायलेक्स तक काफी अंतर भी है।

महोदय, इसमें जो मुद्दा रखा गया है कि गढ़वाल और कुमाऊंनी लैंग्वेज को शेडयूल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। इसका समर्थन करने में मुझे कोई हिचक और सवाल नहीं है। गढ़वाल में हर घर से हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए एक जवान गया हुआ है। गढ़वाल-कुमाऊ के बहादुर सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं और इसलिए गढ़वाल-कुमाऊ लैंग्वेज को आठवीं अनुसूची में शामिल करके उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। हिन्दुस्तान में हिन्दू-आर्यन लैंग्वेज़ में भी काफी डिवीज़न है। जैसे कि ओल्ड हिन्दू आर्यन, जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसके बाद क्लासिकल संस्कृत, प्राकृत, जिसका आपने भी ज़िक्र किया था। इसके बाद अपभ्रंश है। हिन्दुस्तान में इन्दा, ब्राह्मी, नागरी, खरोष्ठी और गुप्त स्क्रिप्ट है। हिन्दुस्तान कैलेडियोस्कोप की तरह है, जिसमें बहुत किस्म के नज़ारे देखने को मिलते हैं। वर्ष 1961 में हिन्दुस्तान में जो सेंसैस हुई थी, उसमें देखा गया कि हिन्दुस्तान में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। वर्ष 1991 के सेंसैस में यह देखा गया कि 1576 क्लैसीफाइड मदर लैंग्वेज़ हैं। इसमें 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको दस लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और 50 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें एक लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि 114 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें दस हजार से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर 2001 में एक और सेंसस हुई जिसमें यह निकलकर आया कि हिन्दुस्तान में 29 ऐसी भाषाएं हैं जो दस लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और 60 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें एक लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और 122 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें दस हजार से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने जिस बात से चर्चा शुरु की थी कि हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हमारा जो संविधान है और हमारी जो कानूनी व्यवस्था है, इसमें कहीं नेशनल लैंग्वेज कहकर हम लोग नहीं बोल पाते। हमारा आर्टिकल 343 है जिसमें यह कहा गया कि हिन्दी विद देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और आर्टिकल 354 में बताया गया कि:

"The State of India may adopt one or more official languages in use in the State or Hindi/English as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.

Section 8 of the Official Language Act, 1963, as amended in 1967, empowers the Union Government to make rules regarding the languages which may be used for the official purposes of the Union, for transaction of business in Parliament and for communication between the Union Government and the States.

Section 3 of GSR 1053 titled Rules 1976, as amended in 1987, specifies that communication from a Central Government office to a State or a Union Territory shall in, save in exceptional cases, Region A or shall ordinarily Region B in Hindi and if any communication is issued to any of them in English, it shall be accompanied by Hindi translation thereof;

Section 3 of GSR 1053 titled Rules 1976 states that communication from a Central Government office to State or Union Territory in Region C or to any office not being a Central Government office or person in such State shall be in English.

Region C is South India, which covers Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh."

इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई स्टेट चाहे तो अपने इलाके की डैमोग्राफी और वहां की आम जनता की भावना पर नज़र रखते हुए, वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार द्वारा गढ़वाली और कुमायूनी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है या नहीं दिया गया है, जैसे कि बिहार में बंग्ला है, हिन्दी है, उर्दू है। इन सभी भाषाओं को बिहार सरकार ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे चुकी है। सिक्किम में चारों ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। सिर्फ नेपाली लैंग्वेज को शैडयूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है, जैसे कि पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, हमारे सूबे बंगाल में बंगाली। यानी कि हर सूबा अपने अपने क्षेत्र के मद्देनजर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सूबों के हाथ में कोई पॉवर नहीं है। हमारे संविधान के अंतर्गत कुछ पॉवर्स सूबों को भी दी गई हैं कि आप भी अपनी तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। फिर भी जब शैडयूल्ड लैंग्वेज के बारे में चर्चा होती रहे और आम जनता की मांग बढ़ती रहे तो धीरे धीरे आज तक 22 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शैडयूल्ड लैंग्वेज का दर्जा मिला है। जहां तक गढ़वाल का सवाल है, सतपाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से गढ़वाल की चर्चा की है जिससे हम सब खुश हुए हैं। गढ़वाल एक पहाड़ी भाषा है, कुमाउंनी हिल की भाषा है। पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, उत्तराखंड, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग की गढ़वाल सैंट्रल पहाड़ी भाषा है। यह इंडो आर्यन भाषा के नार्दर्न जोन में मिलती है। इतिहास को देखने से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक गढ़वाल में जो राजा थे उनकी आफिशियल भाषा गढ़वाली थी। जैसा आपने जिक्र किया कि देवप्रयाग के इंस्क्रिप्शन में, ग्रौंटिंग की इंस्क्रिप्शन में राजा के दस्तखत हैं। न्यूमेसमेटिक्स, रायल सील्स में गढ़वाली भाषा के सबूत मिलते हैं। गढ़वाल ऐसा इलाका था जहां पनवा राजा राज करते थे जब गोरखा, तिब्बती और ब्रिटिश नहीं आए थे। इतने सालों तक जिस जगह इनका राज था वह इंडिपेंडेंट किंगडम था। रायल सील्स, न्यूमेसमेटिक्स में एक भाषा को दर्जा देने के लिए वे सब सबूत हैं जो होने चाहिए इसलिए गढ़वाली भाषा को शैडयूल भाषा का दर्जा देना चाहिए। यूनेस्को दुनिया का एक एटलस बनाता है जिसे लैंगवेज एटलस कहा जाता है। इंटरनेशनली यूनेस्को एटलस बनाकर बताता है कि कहां कौन सी भाषा खतरे में है। हम देख रहे हैं कि गढ़वाल डेंजर जोन में आ चुका है। गढ़वाल भाषा बहुत रेपिडली शिंक कर रही है। इसकी रक्षा राज्य सरकार का फर्ज है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोचे।

महोदय, इतिहास बताता है कि गढ़वाल भाषा खासा लोगों की भाषा थी। बाद में आर्यन आए, अपने साथ वेदिक संस्कृत लाए, धीरे-धीरे गढ़वाल भाषा से जुड़ते गए। कई लोग कहते हैं कि Sherseni and राजस्थानी अपध्वंस ने इस पर काफी असर डाला है। गढ़वाल के लोग बाहर जाने लगे तो काफी भाषाएं जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि ने असर डालना शुरू किया। 18वीं शताब्दी के बाद हिंदी ने सबसे ऊपर स्थान बनाया। गढ़वाली भाषा का स्क्रिप्ट देवनागरी है। मैं जिक्र करना चाहता हूं कि गढ़वाल में जो पहले भाषा थी वह फोक कल्चर के जरिए जनता तक पहुंचती थी। भाषा हमारी धरोहर है। जनरेशन से जनरेशन एक फोक लोर की तरह से वे जनता के दिलों में बैठी थी। यह उस समय भी उनकी एक संगठित लिटरेचर थी। 17वीं शताब्दी के बाद गढ़वाल भाषा एक लिटरेचर की हैसियत से उभरकर सामने आने लगी और एक के बाद एक गढ़वाल से निकली कविताओं, कहानियों और उपन्यासों के बारे में हमें जानकारी होने लगी।

महोदय, मैं आपको एक ओल्डैस्ट मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताता हूं। The oldest manuscript that has been found is a poem "*Ranch judya judige ghimsaan ji*" written by Pt. Jayadev Bahuguna. 1828 में महाराजा सुदर्शन साह ने सभासार लिखा था। यह चौंकाने वाली बात है कि in 1830 AD, American missionaries published the New Testament in Garhwali. अमरीकन मिशनरी ने भी गढ़वाली में यह टेस्टामेन्ट लिखा है। जबकि हम लोग जानते हैं कि महाभारत के जमाने से गढ़वाली भाषा का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा जो ढाई हजार साल पुराना अशोक स्तम्भ है, उस स्तम्भ पर भी गढ़वाली भाषा के सबूत मिलते हैं। गढ़वाल से बहुत सारी मैगजीन्स निकलती हैं, जैसे बदुली, हिलांस, चिट्ठी-पत्री और धाड आदि। ये सब चीजें गढ़वाली भाषा को डैवलप करती हैं।

महोदय, गढ़वाली भाषा के महत्व की जानकारी देने के लिए मैं दो बातों का जिक्र करना चाहूंगा, In 2010, the *Sahitya Akademi* has conferred *Bhasha Samman* on two Garhwali writers, namely, Shri Sudama Prasad 'Premi' and Shri Premlal Bhatt. In July 2010, the *Sahitya Akademi* conferred *Garhwali Gaurav Samman* to Shri Bachan Singh Negi during the *Meerut Sahitya Sammelan*. The *Sahitya Akademi* also organized "*Garhwali Bhasha Sammelan*" at Pauri Garhwal in June 2010. Many *Garhwali Kavi Sammelans* are organized in different parts of Uttarakhand, Delhi and Mumbai.

इसलिए मैं चाहता हूं कि गढ़वाल और कुमाऊ के पहाड़ों के लोगों के भावना और उनकी वर्षों पुरानी मांग को मद्देनजर रखते हुए गढ़वाल और कुमाऊनी भाषा को शेडयूल्ड भाषा का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सभापति महोदय, मैं जनाब सतपाल महाराज के जरिये रखे गये इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी की तकरीर के बाद मेरे लिए इसमें ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। मैं अपनी बात को पूरी तरह इनसे सम्बद्ध करते हुए ...(व्यवधान) जो जबान है, भाषा है, इस पर उस जबान के जानने वाले को अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने राज्य और अपने राष्ट्र पर फLा होता है। लेकिन इस देश में यह परम्परा बन रही है कि एक विशेष भाषा को जानने वाले लोग ही अक्लमंद होते हैं। अगर उस भाषा को आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत बुद्धिमान नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि हाँ इनको भी कुछ आता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं माना जाता है। अगर आप यूरोप में जाएं तो जैसे अपने यहां राज्य हैं,

वहां उतने बड़े देश हैं। इंग्लैण्ड में जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, वे फ्रांस में जाएं और अगर इंग्लिश में कोई बात करें तो फ्रेंच के लोग जवाब नहीं देते हैं। मैं भी एक बार गया था तो मैंने इंग्लिश में किसी से बात की और जब उसने नहीं समझा तो मैंने कहा कि आप इंग्लैण्ड के इतने बगल में है आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो वे बोले कि इंग्लैण्ड के लोग भी फ्रेंच नहीं जानते हैं। उनको अपनी-अपनी भाषा पर गर्व होता है। चौधरी साहब बोल रहे थे और कई बार मैं देखता हूँ कि जो बंगाली भाषा जानने वाले हैं ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी अनुमति हो तो हम इस वार्ता का समय एक घंटा बढ़ा रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी ठीक है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हिंदुस्तान में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। कई जगह एक भाषा बोलने वाले हैं, उनके बोलने का अंदाज बदल जाता है। उर्दू बहुत जगह बोली जाती है और हिंदी भी बहुत जगह बोली जाती है। बिहार में मैथिली और अंगीका बोली जाती है। लेकिन एक ही भाषा के बोलने वाले एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो उनके बोलने की टोन बदल जाती है। दिल्ली के लोग जिस टोन से चांदनी चौक में बोलते हैं, दिल्ली से आगे जाकर उत्तम नगर की तरफ चले जाएं और ककरौला और झड़ौदा की तरफ चले जाएं तो दिल्ली में उसी हिंदी का अंदाज बदल जाता है। हरियाणा में चले जाएं तो उसी हिंदी को बोलने का अंदाज बदल जाता है और अगर ज्योति मिर्धा जी के क्षेत्र में चले जाएं तो उसी हिंदी को अलग तरह से बोला जाता है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): हरियाणा में ज्यादा मीठा बोलते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : जी हाँ, वह मीठा ही है। सभापति जी, मेरा ससुराल भी सोनीपत में है। मैं तो हरियाणा के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता हूँ। वहां के लोग तो बहुत मीठा बोलते हैं, हम सुबह से शाम तक सुनते हैं। अपनी-अपनी ज़ुबान पर फ□ा करना और ज़ुबान पर जिद करना अच्छी बात है। अगर कभी कोई व्यक्ति कहे कि हमारी भाषा में बोलें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है, जहां एक मुल्क में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं और एक राज्य में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। अष्ठम् सूची में कुछ भाषाओं का नाम है। सभापति जी, मुझे यह फक्र है कि जब मैं अटल बिहारी वाजपेई जी के साथ मंत्री था और हम लोग वाजपेई जी को ले कर हुक्मदेव बाबू के क्षेत्र में एक महासेतु का उदघाटन करने के लिए गए थे। वहां पर हुक्मदेव बाबू ने उनको मखाने की माला पहनाई थी और पाग दिया था। मिथिला के बारे में जो वर्णन उनकी ज़बान से हो सकती है, वह मेरी ज़ुबान से नहीं हो सकती है। कार्यक्रम रेलवे के पुल का शिलन्यास करने का था, लेकिन इन्होंने प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन किया। मिथिला को अष्ठम् सूची में डालने की घोषणा अटल बिहारी वाजपई जी ने की थी। यह सरकार की इच्छाशक्ति पर होता है। कैबिनेट की उस बैठक में मैथिली जानने वाला मैं ही बैठा था। हमारे बिहार के कई नेता थे। कैबिनेट में मैंने कहा कि आपने वहां पर घोषणा की थी। हम लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि आप निर्मली गये थे और आपने कहा था कि मैथिली को अष्टम सूची में डालेंगे। बिना कैबिनेट नोट के कैबिनेट ने डिसीजन किया और मैथिली को अष्टम सूची में हमारी सराकर ने डाला और इसका हमें सौभाग्य मिला क्योंकि हम उस कैबिनेट के सदस्य थे। हम भोजपुरी को डालने वाले थे, लेकिन वक्त से पहले चुनाव हो गया और आप लोग आ गये। आप तो अंग्रेजी वाले लोग ज्यादा आ गये, आपको भोजपुरी से क्या मतलब? भोजपुरी को भी अष्टम सूची में डाला जाये। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि इसे हम अष्टम सूची में डालें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): जिस दिन आपने उन्हें मैथिली को डालने की याद दिलायी, उस दिन आपको भोजपुरी का ख्याल नहीं आया।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : उसे आपके लिए छोड़ दिया था। आप क्या करते? सब कुछ हम ही कर जाते तो आप क्यों आते?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं कई बार इनसे बहस-मुबाहिसे में रहता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि आपने नहीं किया। किसी मंत्री जी से पूछिये तो वे कहते हैं कि यह काम पहली बार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि नेहरू जी ने जो किया, इंदिरा जी ने जो किया, राजीव जी ने जो किया, वे कुछ नहीं कर पाये, आप कह रहे हैं कि हम ही करने वाले हैं। कई बार जो काम हम करते हैं, आज आप लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं, आप मनरेगा लेकर आये, आप आरटीआई लेकर आये, हम यह कहते कि आप इन्हें पहले दिन ही क्यों नहीं लाये? यह काम सिलसिलेवार होता है।

सभापति महोदय : आप विषय पर बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हम अपने कैबिनेट के अनुभव से कह सकते हैं कि एक दिन की सत्ता नहीं मिलती है, काम सिलसिलेवार किया जाता है। इसलिए यह कहना कि हम नहीं कर पाये और आप नहीं कर पाये हैं, यह प्रश्न भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। हम तो नहीं कर पाये, लेकिन सात साल से आप क्या कर रहे थे? जब मंत्री जी आप जवाब दें तो हम इस बात का जवाब आपसे जरूर चाहेंगे। भोजपुरी के जो लोग आज देख रहे होंगे, वे रावत साहब से उम्मीद करेंगे कि जवाब देते वक्त या वे जब बोलें तब वे इस बारे में बतायें कि भोजपुरी को सात साल से न्याय क्यों नहीं मिला? छह साल पहले जब हमारी हुकुमत रही, उससे पहले पचास साल न्याय क्यों नहीं मिला, इसका जवाब आपको देना चाहिए? इस देश में ज़ुबान का बहुत महत्व है, जब हुक्मदेव बाबू बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हर आदमी अपनी भाषा में बोलता है। मैं मुसलमान हूं और मैं अरबी पढ़ता हूं। अरबी मेरी समझ में आये या न आये, लेकिन मैं अरबी पढ़ता हूं। अगर मैं कभी दुआ करने जाता हूं तो हाथ उठाते वक्त मैं अरबी में ही दुआ मांगूंगा और मेरा खुदा मेरे से राजी हो जायेगा। अगर यही अकीदा हो जाये कि अरबी में दुआ मांगने से ही खुदा राजी होगा, ऐसा नहीं है। जिसकी जो भाषा है, बंगाली, बंगला में दुआ मांगता है, जो उर्दू जानने वाले हैं, वे उर्दू में दुआ मांगते हैं, जो हिन्दी जानने वाले हैं, वे हिन्दी में प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाला सबकी ज़ुबान समझता है। जो ज़ुबान आपकी समझ में आती है, वही ज़ुबान आपकी अपनी ज़ुबान है। मैं यह देखता हूं कि लोग कई जगह, जिस पर बहुत बड़ा अकीदा होता है, उस भाषा पर, उस किताब पर, तब भी उस किताब को लोग पढ़ते तो हैं। संस्कृत में कई किताबें हैं, लोग वेद पढ़ते हैं, लोग कुरान पढ़ते हैं, लोग अपनी भाषा में बाईबिल पढ़ते हैं, लेकिन उसे समझाते हुए वे उस भाषा का उपयोग नहीं करते। जिस भाषा में लोग समझ जायें, वे उस भाषा का उपयोग करते हैं। हिन्दुस्तान में कई बार नारा लगता है, रावत साहब कल भी आप टेलीविजन पर नारा लगा रहे थे, मैं उसे यहां कोट नहीं करूंगा। मैं आपकी प्रेस कांफ्रेंस देख रहा था। कई बार ज़ुबान के बारे में यहां डिबेट होती है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं तो यह कह सकता हूं कि कौन हमारा राष्ट्रगान हो, इस पर भी देश में बहुत बड़ी बहस हुई, वोटिंग हुई। हमारी सरकारी ज़ुबान कौन सी हो, हम कौन से नारे को लगायेंगे, कई बार लोग कहते हैं कि यह ज़ुबान हमारी है, यह ज़ुबान तुम्हारी है,

जो हिन्दुस्तानी ज़ुबान है, वह सब हमारी है। हम अपनी ज़ुबान पर ज़िद कर सकते हैं कि हम अपनी ज़ुबान में बोलेंगे, लेकिन हम दूसरे को उसकी ज़ुबान में न बोलने दें, यह भी बहुत अन्याय है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज कई नारे हैं, इंकलाब जिन्दाबाद है, जिस व्यक्ति को उर्दू के बारे में कुछ नहीं पता, वह भी कहता है कि इंकलाब जिन्दाबाद, यह तो उर्दू की बात है।

सभापति महोदय : आप संक्षिप्त कीजिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, आपने समय भी बढ़ाया है और आप बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय : चलिये ठीक है। आप थोड़ा संक्षिप्त कीजिये, अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं बचपन से आपको सुनता रहा हूं। मैं फिल्में नहीं देखता हूं, मैं गाने नहीं सुनता, लेकिन न्यूज़ देखने के बाद अगर मुझे समय मिलता है, तो मैं प्रवचन सुनता हूं। आपका प्रवचन आता है, तो मैं कभी मिस नहीं करता हूं।...(व्यवधान) महोदय, मैं सच बोलता हूं और उसकी सच्चाई वही समझ सकता है, जिसका स्वयं सच्चाई पर विश्वास हो। अगर सच्चाई पर किसी को विश्वास नहीं है, तो दूसरे को भी वह अपनी तरह का ही मानने लगता है। मैंने दिल से कहा है और मेरे मित्र निशिकांत जी जानते हैं कि मैं बहुत गौर से सुनता हूं, क्योंकि जो बड़े व्यक्ति आ कर टीवी पर बोलते हैं, उससे हम लोगों को काफी लाभ होता है। हम लोग मंत्री रहे, तीन बार से सांसद हैं, लेकिन अपने को स्टूडेंट की तरह मानते हैं। अगर कहीं सांसद बोल रहा होता है, तो उसकी कही एक-एक बात कीमती होती है, इसलिए मैं हमेशा उनसे सुनकर सीखता हूं।

महोदय, मैं कह रहा था कि ज़ुबान का अपना महत्व है। आज कल लोग फिल्मों में जाते हैं, तो उर्दू सीखते हैं। लोग उर्दू जानते हैं तो " ज " के नीचे बिंदी लगाते हैं। हिंदी में भी अब लोग " ज " के नीचे बिंदी लगाते हैं और हिंदी तथा उर्दू का जो रिश्ता है, वह गंगा-यमुनी तहज़ीब से झलकती है। उर्दू भाषा के लिए यह कह दिया जाता है कि मुसलमानों की भाषा है। ऐसा नहीं है, उर्दू प्योर हिंदुस्तानी ज़बान है। उर्दू पर कभी किसी दूसरे मुल्क का ठप्पा नहीं लग सकता है।...(व्यवधान) उसका सर्टिफिकेट इनसे नहीं चाहिए।...(व्यवधान) महोदय, इस देश में मुसलमानों को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वह हिंदुस्तानी है। जो मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वह हिंदुस्तानी ही है। कई लोग सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं कि आप देशभक्त हो, आप भारतीय हो। कहीं भी रहें, जो इस मुल्क में पैदा हुआ, बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान नहीं गया। भारत को मादरेवतन माना, जननी मातृभूमि माना, वह हिंदुस्तानी ही है, उसे किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसे न सर्टिफिकेट देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए।

महोदय, यह जो ज़बान है, हर क्षेत्र में इसके बोलने में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। दिल्ली में जैसे उर्दू और पंजाबी दूसरी ज़बान है। बिहार में उर्दू दूसरी ज़बान है, मैथिली दूसरी ज़बान है। अलग-अलग लोग अपनी ज़बान पर गर्व करते हैं। मैं अंग क्षेत्र का सांसद हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं विक्रमशिला का सांसद हूं। बिहार में जिस प्रकार मैथिली बोली जाती है, उसी तरह भागलपुर में अंगिका बोली जाती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अंगिका को अष्टम सूची में लाया जाए, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। पहले भी संसद में हमने इस विषय को उठाया था। जब विक्रमशिला में अंगिका भाषा का उपयोग होता था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के कई इलाकों में अंगिका बोली जाती है और भागलपुर का जो नजदीकी क्षेत्र है।

सभापति महोदय : इसकी लिपि क्या है?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, इसकी लिपि देवनागरी है। इसका अलग शब्दकोश है और व्याकरण है। तिलकामाजी यूनीवर्सिटी में इस भाषा के लिए अलग से केंद्र खुला हुआ है। अंगिका बहुत ही मीठी और प्यारी भाषा है।...(व्यवधान) जिस बात को आपने हुक्मदेव जी से सुन लिया है और वहां तक पहुंचने में हमें बहुत समय लगेगा। सभापति जी, यह आंदोलन बहुत दिनों से हो रहा है। महाभारत काल में यह क्षेत्र था, यह उतना पुराना है। महाभारत काल में अंगराज कर्ण का यह क्षेत्र है। उससे संबंधित मंदार पर्वत है, जो अब झारखंड क्षेत्र में आ गया है। यहां पर नालंदा की चर्चा होती है, पर विक्रमशिला की कभी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। हम बराबर यह कहते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाइए। जिस तरह आप नालंदा में विश्वविद्यालय बना रहे हैं, उसी तरह वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलें। लेकिन इस सरकार में तो ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज़ वालों की ज्यादा चल रही है। नालंदा, विक्रमशिला वाले लोग सिर्फ बैठे-बैठे देखते रहते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज़ की बात होती है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो अंगिका भाषा है, इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। मैं धन्यवाद दूंगा कि सुश्री ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी और एक बार अनुरोध किया। उन्होंने भागलपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस का नाम बदलकर अंग एक्सप्रेस रख दिया। मैं अंग इलाके का सांसद हूं। वह तो दानवीर की भूमि है और मैं इस सरकार से पूछता हूं कि हम लोग कब तक दान करते रहेंगे? आप अपना हृदय थोड़ा बड़ा कीजिए। अंगिका को आठवीं अनुसूची में डालने की कोशिश इस सरकार को करनी चाहिए। आज बड़ी तादाद में पूरा भागलपुर कमिश्नरी क्षेत्र, कोसी कमिश्नरी क्षेत्र, और झारखंड में गोड्डा के लोग अंगिका का बहुत उपयोग करते हैं। अंगिका भाषा के साथ मंजूषा, कला जुड़ी हुई है। मैं इस बिल पर समर्थन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि अंगिका भाषा को अष्टम सूची में डाले। सरकार आठ सालों से बैठी है, ज़िद पर अड़ी है कि किसी भाषा का नाम ही नहीं डालेंगे। जब वाजपेयी जी थे, उन्होंने कई भाषाओं का नाम अष्टम सूची में डाल दिया। आपको हम सारे सांसदों ने हस्ताक्षर करके दिया कि भोजपुरी, राजस्थानी, अंगिका को अष्टम सूची में डाला जाए। अन्य कई सांसदों ने भी अपील की है।

सभापति महोदय, सरकार का कुछ बिगड़ता नहीं है, सरकार अंगिका को अष्टम सूची में डाले। लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है कि लोग सड़क पर आकर बात करें। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हमें चुनकर भेजती है। जनता हमें वोट देती है। एक क्षेत्र में करीब 15 लाख वोटर होते हैं। वह अपने प्यारे नुमाइंदे को बहुत श्रद्धा से चुनते हैं। हम अगर यहां अकेले खड़े हैं तो समझिए हमारे साथ 30 लाख जनता खड़ी है, हमारे 15 लाख मतदाता खड़े हैं। हम कभी अपने आपको अकेला, तन्हा नहीं मानते। संसद सदस्य कुछ नहीं होता, यह तो एक इंस्टीट्यूशन है। हम कुछ नहीं हैं। जब देश में सांसदों पर टिप्पणियां कसी जाती हैं, हमारे जैसे लोग जिन पर कोई केस, मुकदमा, कभी कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई है तो हम समझते हैं कि हमारे जैसे लोग वह गाली क्यों सुने जो गाली सुनाई जाती है? हम लोग इससे आहत होते हैं।

यहां पर एक सांसद राजस्थान से आते हैं। मैं उन्हें हमेशा देखता हूं कि वे अपने घर से पैदल चलकर आते हैं। उनके पास गाड़ी नहीं देखता हूं। मैं खुद कई बार अपनी गाड़ी रोककर उनको अपने साथ बिठाता हूं। वे राजस्थान से कांग्रेस के सांसद हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। हम जब

संसद में बात कहें तो हम संसद सदस्यों को ऐसा गिना जाए कि उनके क्षेत्र के 15 लाख लोग यह मांग करते हैं। 15 लाख लोग प्लस निशिकांत जी, जो वहां के रहने वाले हैं, यह मांग करते हैं कि अंगिका को अष्टम सूची में डाला जाए।

इसी के साथ आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

SHRI K.C. SINGH 'BABA' (NAINITAL-UDHAMSINGH NAGAR): Hon. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on such a historic and important Bill, that is the Constitution (Amendment) Bill, 2010.

श्री शैलेन्द्र कुमार : बाबा जी, आप हिन्दी में बोलिए।

श्री के.सी.ि ंसह 'बाबा' : अभी अंग्रेजी में बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अंग्रेजी में बोलने दीजिए।

श्री के.सी.ि ंसह 'बाबा' : आप कहें तो हम इलाहाबादी में भी बोल देवें। हम चार-पांच भाषा जानते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, उसमें बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : आप गढ़वाली में बोलिए।...(व्यवधान)

श्री के.सी.ि ंसह 'बाबा' : जब गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा राष्ट्रीय भाषा मानी जाएगी तो हम यहां पर गढ़वाली और कुमाऊंनी में भी बोलेंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, उसमें बोलिए।

SHRI K.C. SINGH 'BABA' : This Bill is of vital importance particularly to the people of Uttarakhand, the Garhwali and Kumaoni speaking people.

Sir, the Eighth Schedule to the Constitution recognizes 22 national languages being spoken and written by the citizens. It is believed that the education, culture and intellectual pursuits are created and developed around these languages. It is unfortunate that languages such as Garhwali and Kumaoni, spoken and written by millions of people having distinct culture of their own have not been recognized as national languages and included in our Constitution.

Sir, Garhwali and Kumaoni, as languages, have been in existence since ancient times. The language on the copper plates of the eleventh century A.D., bearing inscriptions of the Chand rulers of Kumaon and Parmar rulers of Garhwal are in Kumaoni and Garhwali respectively. These inscriptions bearing copper plates are land grants mostly for temples. The languages on the available rock edicts of the ruling dynasties of Kumaon and Garhwal are Kumaoni and Garhwali respectively. At the time, when Hindi as a language was not in existence all the official work of the State of Garhwal and Kumaon were in Garhwali and Kumaoni. Both these languages are very rich in expression, as Satpal Maharaj Ji has said in detail, and the folk song and dances of this region have attained international acclaim and are an evidence of the richness of the language.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, हम भी इस पर यहां बोलने के लिए बैठे हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपका नाम सूची में लिखा हुआ है।

â€¦(व्यवधान)

SHRI K.C. SINGH 'BABA' : The famous Malushahi legend in Kumaoni and Garhwali has attracted international attention. It was first translated into French by Marie Terrace Datta in 1955; and during the late 1970s and early 1980s German Scholar Dr. Konrad Meissner studied it for his doctoral dissertation, which was published in 1985.

सभापति महोदय: रघुबंश बाबू, अगला नाम आप ही का है।

â€¦(व्यवधान)

SHRI K.C. SINGH 'BABA' : Sir, I would like to quote Shri M.P. Joshi's article published recently from Poland in Europe's time honoured and prestigious journal *"Lingua Posnaniensis"*....(*Interruptions*)

सभापति महोदय: इनके बाद आपको ही बोलने दिया जाएगा, आप ही का नाम लिखा हुआ है। इनके बाद आपको ही बोलने का अवसर दिया जाएगा।

SHRI K.C. SINGH 'BABA' : I quote:

> "Roots of Kumaoni can be traced to the inscriptions of the Mauryan Emperor Ashsoka, found at Kalsi, District Dehradum; Kuninda coins, including Almora coins, 2nd century BC to 3rd century AD; two Taleshvar Copper plates, 6th and 7th centuries AD, Katyuri inscriptions, 9th-14th centuries AD; and finally the Chand inscriptions, 14th century AD to 1790.
> Inscriptional evidence clearly shows that the official state documents were issued in Kumaoni as early as 14th century AD whereas in Hindi they do not date back for more than 16th century AD. Revenue registers written in Kumaoni were maintained by the Kings of Raika (far western Nepal and eastern Kumaon) and the Chand dynasties of Kumaon. The earliest known date in one such register reads that it was transferred from an earlier one in Saka 1522 (AD 1600) during the reign of Maharaja Lakshmi Chandâ€¦.."

18.00 hrs.

Kumauni was the official language as well as the *lingua franca* of Kumaon throughout the reign of the Chand dynasty of Kumaon on the basis of known inscriptions - 14th century to 1791 AD.

The earliest known dated inscription (Saka 1127 (AD 1205) in proto-Kumaoni is found at Dingas (Pithoragarh).

सभापति महोदय : के.सी.ि◌ंसह बाबा जी, अगली बार आप ही बोलेंगे। अब जीरो ऑवर शुरू हो रहा है। You will speak next time.

सभापति महोदय : अब शून्य काल प्रारम्भ हो रहा है।

श्री रामकिशुन। अगर आप लोग संक्षेप में बोलेंगे तो सब का नम्बर आ जायेगा।